हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2009–10
से
2010–11 तक

403

Scanned with CamScanner

रलब्ध-14(5)
11-01-2012

1 उपाध्यक्ष/सचिव
विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
हरिद्वार

Ro/22

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादून।
सम्परीक्षा आख्या भाग- प्रथम

402

संस्था का नामः- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

अवधिः- वर्ष 2009-10 से 2010-11

प्रशासनः- आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अधिकारी प्रशासनिक एवं आहरण वितरण अधिकारी रहेः-

उपाध्यक्षः-
(1) श्री आनन्दवर्धन (IAS) दिनांक 01.04.2009 से 17.08.2010 तक
(2) श्री अनिल त्यागी (कार्य) दिनांक 17.08.2010 से 25.08.2010 तक
(3) श्री चन्द्र शेखर भट्ट (PCS) दिनांक 26.08.2010 से 31.03.2011 तक

सचिवः-
(1) श्री रणवीर सिंह चौहान दिनांक 01.04.09 से 30.09.09 तक
(2) श्री हरिचन्द्र सेमवाल दिनांक 01.10.09 से 22.06.10 तक
(3) श्री अनिल त्यागी (का0) दिनांक 22.06.10 से 27.06.10 तक
(4) श्री विष्णु सिंह धनिक दिनांक 28.06.10 से 31.03.11 तक

मुख्य वित्तः- अधिकारी
(1) श्री हर सिंह बोनाल दिनांक 01.04.2009 से 17.08.2009 तक
(2) श्री रत्नेश कुमार दिनांक 27.08.2009 से 31.03.2011 तक

सम्परीक्षा का स्वरूपः- उप लेखा परीक्षा।

निस्तारित आपत्तियों का विवरणः- सम्परीक्षा आख्या पर विचार विमर्श के दौरान दिनांक 30.09.2011 को निम्नलिखित सम्परीक्षा आपत्तियों का निराकरण उप निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किया गयाः-

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद
2006-07	1(क)(ख)(ग),1(2),1(5),1(6),1(10),1(19),1(21),5(1)(2)	–
2007-08	1(11)(i)(ii)(iii)(iv)(13)(15)	1,3,4,5,6,8
2008-09	1(ख)(ग)(घ)(ड0)(च)(i)(ii)(iii)(iv)(छ:)(ज)(झ)(ञ)(1)(2)(3)(4) (5)(6)(ट)(ठ)(ड़)(ण)(i)(ii)(iii)(त)(थ)(द)(i)(ii)(iii)(iv)(ध) (i)(ii)(iii)(न)(प)3टि0(i)(ii)(iii),4,5टि0(2)(4),7	1,2,3,4,5,6

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरणः- निम्नलिखित आपत्तियाँ निस्तारण हेतु शेष थीः-

अवधि	अनुच्छेद	पद	कुल संख्या
2007-08	1(14)	–	01
2008-09	1(क)	–	01
		योगः-	02

अनिस्तारित आपत्तियों के निस्तारणार्थ प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

OS.

स्थानः- देहरादून
दिनांकः- 12.10.2011
महीप कुमार सिंह
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक

(के0एन0दुमकी) 1-12
उपनिदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,
देहरादून।

19.01.2012
Secretary

टी0 / 22

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इंटरनल आडिट
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादू
सम्परीक्षा आख्या भाग– दो(अ)

संस्था का नामः– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
अवधिः– वर्ष 2009–10 से 2010–11

सम्परीक्षा में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का विवरणः–

1– व्यपहरण / सम्भावित व्यपहरण के प्रकरणः– कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।
2– दुर्विनियोग के प्रकरणः– कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।
3– अनानुमोदित व्ययः– कोई नहीं।
4– अधिक / अनियमित / अमान्य भुगतान / परिहार्य व्ययः–

(i) गृह किराया भत्ते का अनियमित भुगतान रूपये 59,400=00:– श्री रत्नेश कुमार, वित्त पत्नी श्रीमति अर्चना गहरवार, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पद पर रहते हुए सरकारी आवास उपल सितम्बर, 2009 से जुलाई, 2010 तक रूपय 5,400=00 प्रतिमाह की दर से रूपये 59,400=00 अनियमित भुगतान किया गया।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति

(ii) आबन्टन निरस्तीकरण पर अधिक धनराशि वापस किया जाना रूपयेः– 27 योजनाओं में आबन्टन निरस्तीकरण पर आबन्टन नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध रूपये 27,072=0 किया गया।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति

(iii) अव्यवहारिक तिथि को न्यायालय में उपस्थिति हेतु अमान्य भुगतान रूपये अव्यवहारिक तिथि दिनांक 31.09.2010 (माह सितम्बर में 30 दिन होते है) को माननीय उच्च न्यायाल होने (appearsnce before court) हेतु श्री शान्ति भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता को रूपये 11,00 किया गया, जो मान्य नही था।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति

(iv) अमान्य भुगतान रूपये 37,630=00:– प्राधिकरण नियमों, उपनियमों में व्यवस्था न अधिष्ठान से इतर व्यक्तियों द्वारा किये गये व्ययों हेतु रूपये 37,630=00 का अमान्य भुगतान किया ग

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति

5. अधिष्ठान एवं वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें:–

(i) त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 34,946:– दिनांक 01.0 वेतनमानों में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री गोकुल चन्द जोशी, अवर अभियन्ता को रू अधिक भुगतान किया गया।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति

(ii) विनियमितीकरण से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृ फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 5,65,423:– श्री आनन्द राम आर्या, अवर अभियन्ता को दिना अवर अभियन्ता पद पर नियमित किया गया था अतः उक्त तिथि से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्ग देय नहीं था परन्तु श्री आर्य को दिनांक 01.03.2002 से प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया, जिस आर्या को रूपये 5,65,423=00 का अधिक भुगतान हुआ।

{सम्परीक्षा आ

Scanned with CamScanner

(iii) **विनियमितीकरण के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्टः–** तदर्थ रूप से नियुक्त श्री बलराम सिंह–सर्वेयर, श्री भूपाल सिंह– सर्वेयर एवं श्री किशन स्वरूप सिंह चौकीदार को कब और कैसे नियमित किया गया, स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। विनियमितीकरण आदेशों के बिना ही सेवा पुस्तिकाओं में 'तदर्थ' शब्द को काट कर 'अस्थाई' अंकित किया जाना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(29)

आय की हानि/ राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमिततायेः–

(1) **सब डिविजन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 3,59,418=00:–** मानचित्र पत्रावली संख्या मान0/हरि0/एस0 डब्लू0– 40/2010–11 में सब डिविजन शुल्क की गणना कम किये जाने के फलस्वरूप रूपये 3,59,418=00 की आर्थिक क्षति हुई।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(1)}

(2) **भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क न लिए जाने से आर्थिक क्षति रूपये 6,64,20,000=00:–** मानचित्र पत्रावली संख्या– मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0– 40/ 2010–2011 में भू– उपयोग आवासीय से पर्यटन किये जाने पर भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप रूपये 6,64,20,000=00 की आर्थिक क्षति हुई।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(2)}

(3) **दस प्रतिशत अधिकार न लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 1,57,34,780=00–** आवास अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के ज्ञाप संख्या 152/9–आ0–1–1998 दिनांक 15 जनवरी, 1998 के प्रावधानानुसार बेचे जाने वाले भूखण्डो के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिकार वसूल न किए जाने के फलस्वरूप रूपये 1,57,34,780=00 की आर्थिक क्षति हुई।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(3)}

(4) **विकास एवं पर्यवेक्षण शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 48,895=00:–** मानचित्र पत्रावली संख्या– मान0/हरि0/ एस0 डब्ल्यू– 40/ 2010–11 में कवर्ड एरिया कम आगणित किये जाने के फलस्वरूप रूपये 48,895=00 की आर्थिक क्षति हुई।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(7)}

(5) **स्टाम्प शुल्क के रूप में राजकीय राजस्व की क्षति रूपये 1,86,010=00:–** पत्रावली संख्या– मान0/ लेआउट0/85/03–04 में बन्धक अनुबन्ध पत्रों में कम मूल्य के स्टाम्प प्रयुक्त किए जाने के फलस्वरूप रूपये 1,86,010=00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(9)}

(6) **मानचित्र आवेदन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 12,199=00:–** 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डो पर आवासीय भवन मानचित्र आवेदन शुल्क निर्धारित दर रूपये 2=00 प्रति वर्ग मी0 की दर से न लिए जाने के फलस्वरूप रूपये 12,199=00 की आर्थिक क्षति हुई।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(12)}

(7) **रोड वाइडनिंग क्षेत्र पर सब डिविजन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 68,675=00:–** रोड वाइडनिंग क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्रफल पर सबडिविजन शुल्क लिया गया था, जिसके फलस्वरूप उप सम्परीक्षा माहों में रूपये 68,675=00 की आर्थिक क्षति हुई।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(17)}

7. **अधिकार के प्रकरणः–** कोई नहीं।

8. **आय– व्ययक, वित्तीय स्थिति, बैलेंसशीट आदि से सम्बन्धित अनियमिततायेः–** कोई नहीं।

9. राजकीय अनुदानों / ऋणों के उपभोग में पाई गई अनियमिततायें:– कोई नहीं।

10. अन्य विविध प्रकृति की गम्भीर अनियमिततायें:–

(1) हरिलोक अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय:– प्राधिकरण द्वारा विकसित हरिलोक आवसीय काल पर प्राप्त आय के सापेक्ष रूपये 21,40,823=00 अधिक व्यय किया गया था जबकि प्राधिकरण के उद्दे कालोनी का अनुरक्षण सम्मिलित नहीं था।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(1

(2) कुम्भ मेला प्रशासन को अनियमित रूप से अग्रिम दिया जाना:– मेलाधिकारी, कुम्भमेला 2010 उपाध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार का दुरूपयोग करते हुए विभिन्न तिथियों में मेला प्रशासन को ऋण/अग्रिम दिया गया जिसमें से सम्परीक्षा तिथि तक रूपये 20 लाख वापस प्राप्त होने हेतु शेष था। मेलाधिकारी के वेतन अग्रिम के रूप में भी रूपये 1,90,000=00 दिया गया, यद्यपि रूपये 1,90,000=00 दिया गया था, परन्तु यह प्राधिकरण नियमों, उपनियमों के अनुकूल नहीं था।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(1

(3) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि प्राप्त न किया जाना:– नगर योजना एवं विकास अधि धारा 39(1) के अधीन वसूले गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का आनुपातिक अंश विकास प्राधि नहीं किया गया जबकि नगर पालिका हरिद्वार को, माह जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 की अवधि का 1,76,12558=00 प्राप्त हो गया था।

{सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) आपत्ति संख्या 1(2

स्थान:– देहरादून
दिनांक:– 12.10.2011
श्री महीप कुमार सिंह
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(के0एन0दुमका)
उपनिदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभा
देहरादून।

टी0/22

निदेशालय कोषागार एवं वि[illegible] सह स्टेट इंटरनल आडिट, उत्तराखण्ड

स्थानीय नि[illegible]लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादून।

सम्परीक्षा आख्या भाग– दो(ब)

संस्था का नामः– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

अवधि:– वर्ष 2009–10 से 2010–11

सम्परीक्षा दिनांकः– वर्तमान सम्परीक्षा दिनांक 01.04.2011 को प्रारम्भ एवं दिनांक 30.09.2011 को समाप्त की गई।

1– सम्परीक्षा में पाई गई उल्लेखनीय आपत्तियां :–

(1) सब डिविजन शुल्क गणना हेतु सर्किल रेट कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 3,59,418=00:– मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0–40/2010–11 पत्रावली की जाँच में पाया गया, कि उक्त पत्रावली द्वारा श्रीमति पूनम सिंह, डायरेक्टर, गर्ग फूड्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र स्वीकृत था। उक्त मानचित्र में रावली महदूद, हरिद्वार स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 8200 वर्ग मीटर में से रोड बाइडनिंग क्षेत्र कम करते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्रफल 8069.75 वर्ग मीटर पर 8069.75 × रूपये 5650=00(सर्किल रेट) का 2 प्रतिशत रूपये 9,11,882=00 सबडिविजन शुल्क आगणित कर प्राप्त किया गया था। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा निर्गत सर्किल रेट (नवम्बर, 2009 से अक्टूबर, 2011) पृष्ठ संख्या 25, क्रमांक 27 पर उक्त क्षेत्र हेतु 500 वर्गमीटर तक की दर रूपये 5,650=00 प्रति वर्गमीटर, 501 से 1000 वर्गमीटर तक की दर रूपये 5,250=00 प्रति वर्गमीटर तक व्यवसायिक दर रूपये 8,100=00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित थी (संलग्नक–1) चूंकि भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक था अतः उपरोक्त सबडिविजन शुल्क रूपये 5,650=00 के स्थान पर रूपये 8,100=00 प्रतिवर्गमीटर सर्किल रेट लेते हुए 8069.75 ×8,100=00 का 2 प्रतिशत अर्थात रूपये 13,07,300=00 आगणित कर वसूल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार प्राधिकरण को 13,07,300=00– 9,11,882=00 = रूपये 3,95,418=00 की क्षति हुई। उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

(2) भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क न लिये जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 6,64,20,000=00:– मानचित्र पत्रावली संख्या–मान0/हरि0/एस0डब्ल्यू0–40/2010–11 की जाँच में पाया गया कि उक्त पत्रावली द्वारा श्रीमती पूनम सिंह, डायरेक्टर–गर्ग फूड्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र स्वीकृत किया गया था। पत्रावली में संलग्न नोट शीट संख्या–1 पर अंकित टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग–अ के अनुसार आवासीय मध्य घनत्व आर–1 था। उक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल का मानचित्र स्वीकार्य भू–उपयोग के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं था।

प्राधिकरण बोर्ड की 49 वीं बैठक दिनांक 16.10.2010 के क्रमांक 49(02) अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से, के द्वारा महायोजना जेनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में रावली महदूद स्थिति भूखण्ड क्षेत्रफल 8,200 वर्गमीटर पर होटल निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित था। उक्त अनुमोदन एवं जोनिंग रेगुलेशन में भू–उपयोग परिवर्तन पर शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं था। भू– उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1205/5–आ0–2005–11 (एल0यू0सी0)/दिनांक 12.04.2005 के क्रम में शासनादेश संख्या– 1573/ 5–आ0–2006–11 (एल0यू0सी0)/03 दिनांक 19.09.2006 द्वारा महायोजना में निम्न भू– उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन की दशा में भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण किया गया था तथा साथ ही महायोजना एवं क्षेत्रीय योजनांतर्गत भू–उपयोग की अनुमन्यता को एक अधिकार के रूप में न देखकर प्रकरण विशेष के तकनीकी परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर भू– उपयोग परिवर्तन हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर 2.0 हेक्टेयर तक निर्धारित दर के 100 प्रतिशत भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने का प्रावधान था। जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में आवासीय से पर्यटन (होटल) में परिवर्तन पर निर्धारित दर का 100 प्रतिशत अर्थात 8200 ×3300 ×100/100=रूपये 6,64,20,000=00 भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जाना था, परन्तु प्राधिकरण द्वारा भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जाना था, परन्तु प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं, लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को रूपये 6,64,20,000=00 की आर्थिक क्षति हुई। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(3)– बेचे गये भूखण्डों के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिक्रार न लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 1,57,34,780:– आवास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 152/9–आ–1–1998 दिनांक 15 जनवरी, 1998 (संलग्नक–2) के प्रस्तर–5 (छ) में विकास प्राधिकरणों द्वारा बेचे जाने वाले भूखण्डो के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाये जाने तथा उक्त अधिभार की शत प्रतिशत राशि को अवस्थापना विकास निधि में जमा किये

Scanned with CamScanner

जाने के निर्देश पारित थे। परन्तु हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना तथा के अन्तर्गत सम्परीक्षा तिथि माह अगस्त, 2011 तक विक्रय किये गये क्रमशः 386 तथा 03 भूखण्डों प्रतिशत अधिकार वसूल नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को निम्न विवरणानुसार की आर्थिक क्षति हुई :-

योजना का नाम अधिकार/	भूखण्डो का विवरण	भूखण्डों की संख्या	दर	धनराशि
1-ट्रांसपोर्ट नगर	ट्रांसपोर्ट आफिस हेतु भूखण्ड	03	1,28,000=00	3,84,000=00
2-इन्द्रलोक आवासीय योजना	एच आई जी-ए 300 वर्ग मी0	02	14,10,000=00	28,20,000=00
	--तदैव--	28	8,10,000=00	2,26,80,000=00
	एच आई जी-बी 250 वर्ग मी0	01	11,75,000=00	11,75,000=00
	--तदैव--	22	6,75,000=00	1,48,50,000=00
	एच आई जी-सी 200 वर्ग मी0	32	5,40,000=00	1,72,80,000=00
	एच आई जी-डी 162 वर्ग मी0	103	4,37,400=00	4,50,52,200=00
	एम आई जी-ए 120 वर्ग मी0	05	5,64,000=00	28,20,000=00
	--तदैव--	74	3,24,000=00	2,39,76,000=00
	एम आई जी-बी 90 वर्ग मी0	02	4,23,000=00	8,46,000=00
	--तदैव--	53	2,43,000=00	1,28,79,000=00
	एल आई जी 72 वर्ग मी0	01	3,38,400=00	3,38,400=00
	--तदैव--	63	1,94,400=00	12,24,7200=00
			योगः-	

(4) श्री रत्नेश कुमार, वित्त अधिकारी को गृह किराया भत्ते का अनियमित भुगतान रूपये 5

देयकों की जाँच से प्रकाश में आया कि श्री रत्नेश कुमार, वित्त अधिकारी को माह सितम्बर, 2009 के रूप में, प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप ग्रेड पे रूपये 5,400=00 के 50 प्रतिशत का दोगुना अर्था प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया था। श्री रत्नेश द्वारा किराया भत्ता अनुमन्यता के सम्बन्ध में पर प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था। उल्लेखनीय है कि श्रीमति अर्चना गहरवार पत्नी श्री रत्नेश कुमार से जुलाई, 2010 तक नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पद पर तैनात थी तथा उन्हें सरकारी आवास उपल में शासनादेश संख्या जी-1-2569/ दस-83-209/81 दिनांक 28 फरवरी, 1984 के प्रावधानानुसा को गृह किराया भत्ता देय नहीं था। इस प्रकार श्री रत्नेश कुमार को माह सितम्बर, 2009 से माह रूपये 5,400=00 प्रतिमाह की दर से रूपये 59,400=00 गृह किराया भत्ते का अनियमित भुगता अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(6) आबन्टन निरस्तीकरण पर अधिक धनराशि वापस किया जाना रूपये 27,072=00 :-

(क) चैक संख्या 712287 दिनांक 06.08.2009 द्वारा हरिलोक आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या- ए निरस्तीकरण पर श्री प्रहलाद सूरी (आबन्टी) द्वारा जमा पंजीकरण राशि रूपये 21,800=00 आ 21,800=00 तथा अन्य जमा राशि रूपये 70,000=00 कुल रूपये 1,13,600=00 में से 25 प्रतिशत कटौ रूपये 85,200=00 वापस किया गया था। उक्त भूखण्ड प्राधि 2160/सम्पत्ति/हरिलोक/एच0/पी0/1/96-97 दिनांक 04.09.96 द्वारा आबन्टित था।

हरिलोक आवासीय योजना आबन्टन नियमावली के नियम- 20, 20.03.01 एवं 20.03.03 में वापस में पंजीकरण राशि में से 50 प्रतिशत कटौती तथा आबन्टन की तिथि से दो वर्ष पश्चात वापसी की दशा

399

से 25 प्रतिशत कटौती का प्रावधान था। जिसके अनुसार पंजीकरण राशि रूपये 21,800=00 का 50 प्रतिशत रूपये 10,900=00 तथा शेष जमा राशि रूपये 91,800=00 का 25 प्रतिशत रूपये 22,950=00 कुल रूपये 33850=00 कटौती उपरान्त रूपये 79,750=00 की वापसी की जानी चाहिए थी। इस प्रकार श्री सूरी को 85,200=00– 79,750=00 = रूपये 5,450=00 की अधिक वापसी की गई। उत्तरदायी से वसूली अपेक्षित है।

(ख) ठीक इसी प्रकार श्याम लोक आवासीय योजना में श्री कुन्दन लाल को एच–2 आवास के आबन्टन निरस्तीकरण पर रूपये 60,560=00 के स्थान पर रूपये 52,056=00 कटौती किये जाने के फलस्वरूप रूपये 8,504=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(ग) श्याम लोक आवासीय योजना में ही श्री गुलजारी लाल को एच–2 भवन के आबन्टन निरस्तीकरण पर रूपये 55,554=00 के स्थान पर रूपये 47,049=00 कटौती किये जाने के फलस्वरूप रूपये 8,505=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(घ) श्याम लोक आवासीय योजना में सम्पत्ति संख्या– 37 के आबन्टन निरस्तीकरण पर श्री सुरेन्द्र भारद्वाज को रूपये 53,511=00 के स्थान पर रूपये 47,898=00 कटौती किये जाने के फलस्वरूप रूपये 5,613=00 अधिक भुगतान किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त (ख)(ग)(घ) में वर्णित आपत्ति वर्ष 2006–07 की सम्परीक्षा आख्या में अंकित है जिस पर कोई कार्यवही नहीं की गयी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(7) विकास शुल्क एवं पर्यवेक्षण शुल्क कम लिये जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 48,895=00:–
मानचित्र पत्रावली संख्या– मान0 / हरि0 / एस0 डब्ल्यू0–40 / 2010–11 जो श्रीमती पूनम सिंह , डायरेक्टर–गर्ग फूड प्रा0 लि0 के होटल मानचित्र से सम्बन्धित थी, की जाँच से प्रकाश में आया कि होटल मानचित्र में खुले क्षेत्र की गणना में क्रमांक 'एच' पर स्वागत एवं प्रतीक्षा लॉन्ज 18.347×13=00 238.511 वर्ग मीटर क्षेत्र 5,384=749 वर्ग मीटर को रोड वाइडनिंग उपरान्त कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 8,069.75 वर्गमीटर में से कम करते हुए शेष क्षेत्रफल 2,685.001 वर्गमीटर को भूतल का कवर्ड एरिया मानते हुए विकास शुल्क एवं पर्यवेक्षण शुल्क की गणना की गयी थी। उपर्युक्त स्वागत एवं प्रतीक्षा लॉन्ज का क्षेत्र चारों ओर अन्य दीवारों से प्रथम तल तक घिरा हुआ था तथा प्रथम तल के उपरान्त ग्लास डोम से ढका हुआ दर्शाया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त क्षेत्र को खुला क्षेत्र नहीं माना जा सकता। परन्तु प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्र को खुला क्षेत्र मानते हुए भूतल कवर्ड एरिया 2,923.512 वर्ग मीटर तथा कुल कवर्ड एरिया 15,078.719 के स्थान पर क्रमशः 2,685.001 तथा 14840.208 वर्ग मीटर अंकित करते हुए विकास शुल्क एवं पर्यवेक्षण शुल्क की गणना की गयी जिसके फलस्वरूप 238.511×200= रूपये 47,702=00 विकास शुल्क एवं 238.511×5= रूपये 1,193=00 पर्यवेक्षण शुल्क कुल रूपये 48,895=00 की आर्थिक क्षति हुई।

(8) अव्यवहारिक तिथि को न्यायालय में उपस्थिति हेतु अमान्य भुगतान रूपये 1,10,000=00 :– चैक संख्या 887,248=00 दिनांक 20.10.10 द्वारा श्री शान्ति भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता की बिल संख्या– एस0बी0–5575 दिनांक 02.09.10 रूपये 12,65,000=00 के सापेक्ष आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 2556 V–2010–22 (रिट) / 2010 दिनांक 15.10.10 के क्रम में मान0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित पी0आई0एल0 संख्या–61 / 2010 उत्तराखण्ड जन संघर्ष मोर्चा प्रति राज्य सरकार के सम्बन्ध में, आयकर कटौती उपरान्त रूपये 11,38,500=00 भुगतान किया गया था। देयक की जाँच में पाया गया कि उक्त बिल में दिनांक 29 व 30 अगस्त 2010 को 03 घन्टे कान्फ्रेंस हेतु रूपये 1,65,000=00 तथा दिनांक 31.09.2010 को मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने (appearance before court) हेतु रूपये 11,00,000=00 अंकित कर कुल रूपये 12,65,000=00 का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था (संलग्नक 3)। उक्त बिल किसी स्तर पर भी सत्यापित नहीं किया गया था एवं फीस की दरें भी प्रमाणित / अनुमोदित नहीं थी। उल्लेखनीय है कि माह सितम्बर में मात्र 30 दिन होते हैं अतः सितम्बर में 31 तारीख सम्भव नहीं है। अतः दिनांक 31.09.10 को मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता को किया गया भुगतान रूपये 11,00,000=00 सम्परीक्षा में मान्य नहीं था। अमान्य भुगतान की वापसी / प्रतिपूर्ति अपेक्षित है। बाद पंजिका सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही।

(9) बन्धक भूखण्डो को अनियमित रूप से अवमुक्त किया जाना एवं राजकीय राजस्व क्षति रूपये 1,86,010=00:– विगत वर्षो में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यो हेतु किये गये बन्धक अनुबन्धों की समीक्षा में प्रकाश में आया कि पत्रावली संख्या– मान0 / ले0 आउट / 85 / 03–04 में श्री बृज भूषण विद्यार्थी एवं श्री विशन लाल शर्मा द्वारा हरिपुरम गंगा एसोसिएटस, हरिपुर कलाँ, देहरादून, का ले आउट स्वीकृत था। जिसमें विकास कार्य पूर्ण करने हेतु रूपये 28,62,930=00 की गारन्टी के सापेक्ष कुल 17 भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 01 से 17) प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखें गये थें अनुबन्ध विलेख दिनांक 26.02.2005 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार प्रथम पक्ष अर्थात श्री बृज भूषण एवं श्री विशन लाल वास्ते हरिपुरम गंगा एसोसिएटस, योजना के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक विकास कार्यो यथा–पानी की लाइन, बिजली की लाइन एवं व्यवस्था, सीवर लाइन, सड़क, नाली, पार्को आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु बाध्य था, प्रस्तर–8 के अनुसार

Scanned with CamScanner

प्रथम पक्ष द्वारा समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराकर एवं कालोनी का हस्तांतरण सम्बन्धित वि प्राधिकरण से कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात ही बन्धक भूखण्ड संख्या 01 से 17 को प्राधि कराकर ही विक्रय किया जा सकता था। प्रस्तर 13 के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य ले आ तिथि से 06 माह के अन्दर पूर्ण कराये जाने थे अन्यथा की दशा में बन्धक भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा कब्ज करते हुए विकास कार्य पूर्ण कराये जाने थें।

उक्त ले आउट दिनांक 06.05.05 को स्वीकृत था तथा अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 06.11 आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण किये जाने थे। परन्तु नोट शीट संख्या 25 पर अवर अभियन्ता की टि दिनांक 28.07.06 तक विकास कार्य अपूर्ण थे तथा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था बन्धक भूखण्डों में से 05 भूखण्ड पत्रांक 2053 दिनांक 04.09.06 द्वारा अवमुक्त कर दिये गये। पुनः पत्र 20.03.07 द्वारा 07 भूखण्ड तथा पत्रांक मीमो दिनांक 26.03.09 द्वारा 02 भूखण्ड बिना कार्य पूर्णता प्रमा कर दिये गये। उल्लेखनीय यह भी है कि दिनांक 20.03.09 को अवमुक्त दो भूखण्डों को अवमुक्त किये अधिकारी/ उपाध्यक्ष का अनुमोदन/स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी थी। यह स्थिति गम्भीर अनियमितता

उपरोक्त के अतिरिक्त पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि सहायक आयुक्त स्टाम्प, हरिद्वा संख्या–8/मु0नि0लि0/बन्धक, दिनांक 07.02.04 में उपर्युक्त बन्धक अनुबन्ध में रूपये 2,00,410=00 होना लिखा गया था, परन्तु प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.05.04 को अपनी व्यक्तिगत रा 28,62,930=00 की गारन्टी के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क लेकर बन्धक अनुबन्ध किये की गयी जिसे प्राधिकरण सचिव द्वारा स्वीकार करते हुए रूपये 14,400=00 मूल्य के स्टाम्प पत्र पर अनु जिसके फलस्वरूप 2,00,410=00 –14,400=00 = रूपये 1,86,010=00 के स्टाम्प शुल्क के रूप में राजकीय राजस्व की क्षति हुई।

(10) हरिलोक अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय रूपये 21,40,823=00 :– भुगतान एवं प्राप्ति वि पाया गया कि वर्ष 2009–10 में हरिलोक आवासीय कालोनी के अनुरक्षण पर प्राधिकरण द्वारा रूपये 18 किया गया था जबकि अनुरक्षण मद में आय मात्र रूपये 2,22,356=00 हुयी। इसी प्रकार वर्ष 2010 अनुरक्षण पर व्यय रूपये 8,19,256=00 के सापेक्ष मात्र रूपये 2,86,665=00 आय हुई। उ0प्र0 नगर य अधिनियम की धारा–7 के अनुसार आवासीय कालोनी का अनुरक्षण करना प्राधिकरण के उद्दे सम्मिलित नहीं था। अतः प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में क्रमशः रूपये 1 रूपये 5,32,591=00 की क्षति हुई जो प्राधिकरण के हितों के प्रतिकूल था।

उल्लेखनीय है कि गत एवं विगत वर्षो में आपत्ति किये जाने के उपरान्त भी इस ओर कार्यव इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(11) बिना एम0ओ0यू0 सिंचाई विभाग को भुगतान किया जानाः– चैक संख्या "887562" दि ग्राम श्यामपुर नोआबाद में गंगा किनारे श्री काशी कैलाश सेवाश्रम के पास घाट निर्माण हेतु स्वीकृत रू से द्वितीय किस्त रूपये 10 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था– सिंचाई खण्ड हरिद्वार को किया गया जाँच में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार के पत्रांक 915/ सि0ख0ह0/ कु 2010 द्वारा कुम्भ मेला 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दिनांक 17.09.09 को उपजिलाधिकारी हरि हरिद्वार, सिंचाई विभाग हरिद्वार द्वारा किये गये निरीक्षण एवं आदेशों के क्रम में ग्राम श्यामपुर नोआब हेतु रूपये 27.82 लाख का आगणन तैयार कर स्वीकृति हेतु विकास प्राधिकरण हरिद्वार को प्रेषित थ अवस्थापना विकास निधि समिति की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 07.04.10 व प्राधिकरण/ आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढवाल द्वारा अवस्थापना विकास निधि से रूपये 27.82 प्रदान की गयी। अवस्थापना विकास समिति की स्वीकृति सम्परीक्षा तिथि तक अप्राप्त थी स्वीकृति सम्परीक्षा में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि कुम्भ मेला 2010 की अवधि जनवरी, 2010 से अप्रैल, 2010 तक थी। अतः सम्बन्धित कार्य की दिनांक 07.04.2010 को स्वीकृति प्रदान किया जाना औचित्य हीन था।

उक्त स्वीकृति दिनाक 07.04.10 के क्रम में प्राधिकरण पत्रांक 62/ अभि0–1(क)–01/ 2010–10 द्वारा अधि0 अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार को स्टाम्प पत्र पर एम0ओ0यू0 की कार्यवाही किये जा सिंचाई खण्ड हरिद्वार द्वारा पत्रांक 241/ सं0अ0प0/ कुम्भ मेला– 2010 दिनांक 10.05.10 द्वारा रूपये दो खाली स्टाम्प पत्र उपलब्ध कराये गये, परन्तु एम0ओ0यू0 की कार्यवाही नहीं की गयी। प्रा एम0ओ0यू0 के ही दिनांक 28.05.10 को चैक सं0 104922 तथा दिनांक 21.1.11 को चैक सं0 887562 10 लाख एवं रूपये 10 लाख कुल रूपये 20 लाख ... को अ

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त के अतिरिक्त सिंचाई खण्ड क 647 दिनांक 04.02.2011 द्वारा उपरोक्त रूपये 20 लाख का उपभोग प्रमाणपत्र तथा माप पुस्तिका की करते हुए शेष रूपये 7+13 लाख की मांग की गयी थी। उक्त मापपुस्तिका की छायाप्रति की जाँच में पपुस्तिका संख्या– अज्ञात, पेज संख्या– 57 पर वर्कआर्डर–01/2732 दिनांक 19.03.10, जो उक्त कार्य से सम्बन्धित था, का प्रथम एवं अन्तिम बिल रूपये 19,702=00 बनाया गया था, जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 19.03.10 एवं समाप्ति तिथि 20.03.10 तथा माप लेने की तिथि 22.03.10 अंकित थी। स्पष्ट था कि कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व ही कराया जा चुका था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना भी अपेक्षित है।

(12) मानचित्र आवेदन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 12,199=00:– शासनादेश संख्या 4697/श0वि0–आ0–2004–80(सा)/2003 दिनांक 19.10.04 द्वारा विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित शुल्कों का निर्धारण किया गया था। उपर्युक्त शासनादेश में संलग्न परिशिष्ट के क्रमांक 1(1–1) (क) में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भवनों हेतु "भूखण्ड क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक रूपये 100=00, 101 से 200 वर्ग मीटर तक रूपये 200=00, 201 से 300 वर्गमीटर तक रूपये 300=00 तथा उसके पश्चात रूपये 2/प्रति वर्गमीटर की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो" के अनुसार मानचित्र आवेदन शुल्क का प्रावधान किया गया था (संलग्न–4) परन्तु मानचित्र पंजिका की जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा 300 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड वाले प्रकरणों में निर्धारित रूपये 2=00 प्रति वर्गमीटर की दर से न लेकर कम आवेदन शुल्क लिया गया था जिससे प्राधिकरण को संलग्न विवरणानुसार (परिशिष्ट-'क') रूपये 12,199=00 की आर्थिक क्षति हुई।

(13) कुम्भ मेला प्रशासन को अनियमित रूप से अग्रिम दिया जाना:– दिनांक 05.05.09 एवं दिनांक 28.08.09 को क्रमशः रूपये 10 लाख एवं रूपये 10 लाख कुल रूपये 20 लाख प्राधिकरण निधि से कुम्भ मेला प्रशासन को ऋण दिया गया था जिसे लेखाभिलेखों में अग्रिम अंकित किया गया था। उक्त धनराशि दिनांक 19.03.10 एवं 29.03.10 को वापस प्राप्त कर ली गयी थी।

पुनः दिनांक 09.06.10 को चैक संख्या 104583 एवं दिनांक 24.07.10 को चैक संख्या 52078 द्वारा क्रमशः रूपये 10 लाख एवं रूपये 10 लाख कुल रूपये 20 लाख अग्रिम/ ऋण कुम्भ मेला प्रशासन को दिया गया। सम्परीक्षा तिथि तक उक्त धनराशि प्राधिकरण को वापस प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त धनराशि की वापसी हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 23.05.09 को रूपये 75000=00, दिनांक 30.06.09 को रूपये 75000=00 तथा दिनांक 28.08.09 को रूपये 40,000=00 मेलाधिकारी, कुम्भ मेला 2010 को वेतन अग्रिम के रूप में दिया गया था, जो दिनांक 08.10.09 को रसीद संख्या 554/73 द्वारा वापस प्राप्त हो गया था।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के नियमों एवं उपनियमो में उक्त प्रकार के ऋण/अग्रिम दिये जाने का प्रावधान नहीं है। मेलाधिकारी द्वारा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार का दुरूपयोग करते हुए अनियमित रूप से प्राधिकरण निधि का दुरूपयोग किया गया।

(14) परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने की धनराशि प्राप्त न किया जाना रूपये 5,39,800=00 :– अभियोजना अधिवक्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विवरण दिनांक 22.07.11 के अनुसार सी0जे0एम0 कोर्ट हरिद्वार द्वारा विभिन्न परिवादों में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पक्ष में वर्ष 2007 से 2011 तक कुल रूपये 10,85,300=00 परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने के आदेश पारित थे, जिसमें से रूपये 5,45,500=00 प्राधिकरण को प्राप्त थे, शेष रूपये 5,39,800=00 प्राप्ति हेतु शेष थे। अप्राप्त धनराशि भी प्राप्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(15) भवन निर्माण अग्रिम की वसूली न किया जाना:– भवन अग्रिम पंजिका की जाँच से प्रकाश में आया कि श्री मामचन्द, अवर अभियन्ता को 18.12.1991 को प्रदत्त भवन निर्माण अग्रिम रूपये 50,000=00 के सापेक्ष माह मार्च, 2000 के उपरान्त कोई वसूली नहीं की गई थी। आलोच्य अवधि के अन्त में श्री मामचन्द पर उक्त अग्रिम का रूपये 11,976=00 तथा भवन निर्माण अग्रिम पर अद्यावधिक ब्याज वसूली हेतु शेष था।

इसी प्रकार श्री राजीव दीक्षित, सहायक अभियन्ता से वर्ष 1995–96 में प्रदत्त भवन निर्माण अग्रिम रूपये 1,40,000=00 के सापेक्ष माह–जून, 2005 के पश्चात कोई वसूली नहीं की गयी थी। श्री दीक्षित पर 1472=00 मूलधन तथा भवन निर्माण अग्रिम पर अधावधिक ब्याज वसूली हेतु शेष था।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त दोनों कर्मचारी/ अधिकारी अन्यत्र विकास प्राधिकारणों हेतु कार्यमुक्त किये जा चुके थे। उल्लेखनीय यह भी है कि गत एवं विगत वर्षो में आपत्ति किये जाने के उपरान्त भी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(16) संलयन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 128=00:– रसीद सं0 593/99 दिनांक 17.01.2011 द्वारा श्री दिनेश गोयल, अमन एन्क्लेव हरिद्वार द्वारा शमन शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, संलयन शुल्क आदि रूपये 1,38,878=00 जमा कराये गये थे। सम्बन्धित पत्रावली संख्या– नो0 ज्वा0/18/10–11 की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में नोट शीट संख्या–5 पर अन्य के अतिरिक्त संलयन शुल्क की गणना, 255.60 वर्गमीटर क्षेत्रफल हेतु निर्धारित

Scanned with CamScanner

सर्किल रेट रूपये 5,250=00 के स्थान पर रूपये 5200=00 प्रति वर्गमीटर का 01 प्रतिशत की दर से के स्थान पर रूपये 13,291=00 की गयी थी। जिसके फलस्वरूप 13,419–13291=रूपये 128=00 प्राधिकरण को हुई। प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

(17) सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र पर सब डिविजन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप आ 68,675=00:– मानचित्र पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि प्राधिकरण द्वारा सब डिविजन शु क्षेत्रफल पर न लेकर सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र कम करते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्रफल पर आगणित करते हु था। उपविभाजन शुल्क नेट प्लाट एरिया पर लिए जाने सम्बन्धी नियम/शासनादेश सम्परीक्षा में उ प्रकार सड़क चौडीकरण क्षेत्र को कम करते हुए सबडिविजन शुल्क लिए जाने के फलस्वरूप उ उपलब्ध प्रकरणों में निम्नविवरणानुसार रूपये 68,675=00 की आर्थिक क्षति हुई:–

मनचित्र पत्रावली संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गमी0)	सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र (वर्ग मी0)	शेष क्षेत्रफल (वर्गमी0)	सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र उपविभाजन शुल्क की (क्षेत्रफल×सर्किट रेट×
मान0/हरि0/ एस0 डब्ल्यू0–				
193/10–11	125.42	11.93	113.49	11.93 ×5350 ×1%
203/10–11	446.08	96.34	349.74	96.34×10800×1%
200/10–11	174.72	2.48	172.24	2.28 ×5000 ×1%
217/10–11	99.16	7.017	92.142	7.017×12800×1%
215/10–11	350.00	33.14	316.86	33.14 ×4500 ×3%
226/10–11	107.96	25.23	82.73	25.23×9900×1%
220/10–11	225.75	73.90	151.85	73.90 ×12600×1%
234/10–11	200.84	12.73	188.11	12.73×20200×1%
40/10–11	8200.00	130.25	8069.75	130.25×5650×2%
53/09–10	737.69	138.58	599.11	138.58×6000×1%
91/09–10	226.16	8.08	218.08	8.08 ×6000×1%
88/09–10	196.29	24.00	172.29	24.00×11000×1%
82/09–10	242.50	25.12	217.38	25.12×16800×1%
71/09–10	125.46	24.40	101.06	24.40×3350×1%
66/09–10	114.14	8.20	105.94	8.20 ×8500 ×3%
67/09–10	92.00	12.57	79.43	12.57×5000×3%
71/09–10	184.22	6.20	178.02	6.20 ×6000 ×1%
69/09–10	149.15	13.17	135.98	13.17×16800×1%
				योग:–

(18) अमान्य व्यय रूपये 37,630=00 :– चैक संख्या 887566, 887567 एवं 887568 दिनांक 24.0 श्री नरेन्द्र सिंह रावत को रूपये 18,742=00, श्री राजेश यादव को रूपये 8,488=00 तथा आफिसर निवास, को रूपये 10,400=00 भुगतान दर्शाया गया था। देयक एवं पत्रावली की जाँच में पाया गया आवास, उत्तराखण्ड शासन ने पत्रांक 276/पी0 एस0/2010 दिनांक 23.12.2010 द्वारा स्टर्जिया वाद बिल संलग्न करते हुए 'नियमानुसार' भुगतान हेतु लिखा गया था। प्रधिकरण के नियमों, उपनियमों प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं थे एवं प्राधिकरण अधिष्ठान से इतर व्यक्तियों द्वारा किये गये थे, के प्रावधान नहीं था। अतः उक्त भुगतान सम्परीक्षा में मान्य नहीं था। अमान्य भुगतान की प्रतिपूर्ति अपेक्षित

(19) स्टाम्प पत्र क्रय की तिथि से पूर्व तिथि में अनुबन्ध किया जाना:– श्री राम चन्द्र सिंह नेगी शर्मा दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि हेतु क्रमशः रूपये 5,000=00 एवं रूपये नियत वेतन/ संविदा पर कार्यरत थे। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त दोनो से पृथक–2 अ 04.2009 को किये गये थे। जब कि स्टाम्प पत्र, जिन पर उक्त अनुबन्ध किये गये थे, दिनांक 23.04.2

Scanned with CamScanner

397

गया थे। स्टाम्प पत्र क्रय की तिथि से पूर्व की तिथि में उसी स्टाम्प पत्र पर अनुबन्ध किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक था।

उक्त के अतिरिक्त दोनों की उपस्थिति भी प्रमाणित नहीं थी। बिना उपस्थिति प्रमाणित कराये भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(20) वाहन विक्रय की आय से अधिक व्ययः– रसीद संख्या 591/94 दिनांक 07.01.2011 द्वारा श्री सुरेश शर्मा, हरिद्वार से निष्प्रयोज्य वाहन संख्या यू0ए0–08–9900 की नीलामी द्वारा विक्रय से विक्रय मूल्य रूपये 34,500=00 तथा व्यापार कर रूपये 4,658=00 कुल रूपये 39,158=00 प्राप्त था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त वाहन की नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन हेतु मै0 हिन्दुस्तान मीडिया वैन्चर्स लि0 को बिल संख्या 1800350309 दिनांक 04.01.11 रूपये 25,920=00 तथा बिल संख्या 1800338628 दिनांक 23.12.10 रूपये 32400=00 कुल रूपये 58,320=00 का भुगतान, आयकर कटौती उपरान्त, चैक संख्या 887950 दिनांक 28.02.11 द्वारा रूपये 57,737=00 किया गया था।

प्राधिकरण कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अदूरदर्शिता एवं अनियोजित व्यवस्था के फलस्वरूप वाहन विक्रय से प्राप्त धनराशि रूपये 34,500=00 के सापेक्ष उक्त वाहन विक्रय सम्बन्धी विज्ञापन पर रूपये 58,320=00 का व्यय किया गया। अर्थात वाहन विक्रय से धनराशि प्राप्त होने के स्थान पर प्राधिकरण को वाहन के साथ–2 रूपये 58,320–34,500 = रूपये 23,820=00 का अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ा। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(21) अमान्य भुगतान रूपये 4,370=00:– चैक संख्या 712438 दिनांक 02.09.09 द्वारा श्री विनाद राव लिपिक को पूर्व स्वीकृत अस्थाई अग्रिम दिनांक 11.08.09 रूपये 2,000=00 को समायोजित करते हुए स्वतन्त्रता दिवस आयोजन पर हुए कुल व्यय रूपये 6,497=00 की शेष राशि रूपये 4,497=00 का भुगतान किया गया था। व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि कुल व्यय रूपये 6,497=00 में अन्य के अतिरिक्त दिनांक 14.08.09 को मै0 ममता स्वीट्स एण्ड कन्फैक्शनर्स, ज्वालापुर, हरिद्वार को समोसे, लडडू आदि जलपान हेतु रूपये 4,370=00 का भुगतान दर्शाया गया था। दिनांक 14.08.09 को किसी प्रकार के आयोजन सम्बन्धी कोई आदेश उपलब्ध नहीं थें और न ही 14.08.09 को किसी आयोजन का कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में उक्त भुगतान मान्य नहीं था। अमान्य भुगतान रूपये 4,370=00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

(22) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि प्राप्त न किया जानाः– शहरी विकास/आवास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अधिसूचना संस्था– 1412/श0वि0अनु0 2003/ 285/श0वि0/2002 दिनांक 30.08.2003 के अनुसार नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 39(1) के अधीन वसूल किये गये 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि में से 04 प्रतिशत अनुषांगिक एवं 04 प्रतिशत उगाही व्यय को घटाने के उपरान्त शेष धनराशि विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत को क्रमशः 0.75 एवं 1.25 प्रतिशत के अनुपात मे आवन्टित कर भुगतान किया जाना था।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 755/म0नि0नि0/2010–11 दिनांक 10.01.2011 द्वारा रूपये 1,33,11,750=00 तथा पत्र संख्या 1045/म0नि0नि0/2010–11 दिनांक 25.03.11 द्वारा रूपये 43,00,808=00 माह जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक की अवधि से सम्बन्धित प्राप्त थी (संलग्नक–5) परन्तु विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 30.08.03 के अनुसार अनुपातिक धनराशि प्राप्त नहीं की गयी थी। अनुपातिक धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित हैं।

उपर्युक्त के साथ ही जिला टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल में प्राधिकरण क्षेत्रात्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अनुपातिक भाग प्राप्त किया जाना भी अपेक्षित है।

(23) श्री रत्नेश कुमार, वित अधिकारी को वेतन से भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा की कटौती न किया जानाः– वेतन देयकों की जाँच से प्रकाश में आया कि श्री रत्नेश कुमार, वित अधिकारी के वेतन से भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा की कोई कटौती नहीं की गयी थी। श्री रत्नेश प्राधिकरण में दिनांक 27.08.09 से वित्त अधिकारी पद पर कार्यरत थे। भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा की कटौती न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(24) सब डिविजन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 336=00:– रसीद संख्या 592/84 दिनांक 25.01.2011 द्वारा मान0/हरि0/एस0डब्ल्यू0–211/2010–11 की स्वीकृति के सापेक्ष श्री सतेन्द्र कुमार से विकास शुल्क रूपये 4,000=00, पर्यवेक्षण शुल्क रूपये 571=00 तथा सबडिविजन शुल्क रूपये 3,951=00 कुल रूपये 8,522=00 प्राप्त था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सबडिविजन शुल्क 103.98 वर्गमी0 भूमि पर सर्किल रेट पेज 12 क्रमांक 153 में अंकित आवासीय दर रूपये 3,800=00 प्रति वर्ग मीटर की दर से रूपये 3,95,124=00 का एक प्रतिशत रूपये 3,951=00 लिया गया था। पत्रावली में संलग्न भू स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों के अनुसार उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित एक भाग 212.5 वर्ग फुट अर्थात 19.74 वर्गमीटर जो दान पत्र रजिस्ट्री प्रालेख संख्या 3246 द्वारा श्री सतेन्द्र कुमार के नाम

Scanned with CamScanner

दर्ज था, एक व्यवसायिक भूखण्ड था, जिस पर व्यवसायिक भूखण्ड हेतु निर्धारित दर रूपये 5,500=00 दर से मूल्य आगणित करते हुए स्टाम्प शुल्क दिया गया था। अतः सब डिविजन शुल्क हेतु भूखण्ड मीटर आवासीय दर रूपये 3,800=00 की दर से रूपये 3,20,112=00 तथा 19.74 वर्गमीटर व्य 5,500=00 की दर से रूपये 1,08,570=00 कुल रूपये 4,28,682=00 आगणित कर एक प्रतिशत 4,287=00 सबडिविजन शुल्क लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार 4,287–3,951=00 रूपये 336=00 कम लिए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को आर्थिक क्षति हुई।

(25) कुल विक्रय मूल्य कम दर्शाकर रजिस्ट्री कराये जाने से स्टाम्प शुल्क की क्षति रूपये संख्या 35/592 दिनांक 20.01.11 द्वारा श्रीमति किरण गौतम से इन्द्रलोक आवासीय योजना में 300 संख्या– 33 हेतु फीहोल्ड शुल्क, मुख्य मार्ग शुल्क आदि के रूपये 1,78,325=00 प्राप्त थे। सम्बन्धित में पाया गया कि भूखण्ड का कुल प्राप्त मूल्य 8,10,000 + 4,24,697 = रूपये 12,34,697=00 के 12,24,697=00 दर्शा कर 4.5 प्रतिशत की दर से रूपये 55,575=00 मूल्य के स्टाम्प पत्र के स्थान 55,200=00 मूल्य के स्टाम्प पत्र प्रयोग कर रजिस्ट्री करायी गयी थी। जिसके फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क होने वाले राजकीय राजस्व रूपये 375=00 –(55575–55200) की क्षति हुई। प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

(26) दैनिक भत्ते का अधिक भुगतान रूपये 85=00:– चैक संख्या 712403 दिनांक 11.08.09 द्वारा की माह– मई–जून–जुलाई, 2009 में की गयी विविध यात्राओं हेतु यात्रा भत्ता रूपये 2,118=00 भुगतान देयक की जाँच में पाया गया कि अन्य के अतिरिक्त दिनांक 08/09.06.2011 को नैनीताल अवस्थान दैनिक भत्ते का रूपये 85/भुगतान किया गया था, जबकि श्री जोशी द्वारा देयक में दिनांक 08.06.09 हरिद्वार से प्रस्थान कर दिनांक 09.06.09 को प्रातः 07 बजे नैनीताल पहुंचाना तथा दिनांक 09.06.09 को नैनीताल से हरिद्वार हेतु प्रस्थान दर्शाया गया था। इस प्रकार दिनांक 09.06.09 को नैनीताल अवस्थान प्रातः 11 बजे तक मात्र 04 घण्टे का था। अतः उक्त दिवस का दैनिक भत्ता देय नहीं था। अनियमित दैनिक भत्ते रूपये 85=00 की वसूली अपेक्षित है।

(27) त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 34,946=00:– श्री गोकुल अभियन्ता, की सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जाँच में पाया गया कि श्री जोशी दि वेतनमान 8000–275–13500 में दिनाक 01.01.06 को देय वेतनवृद्धि से पूर्व (या दिनांक 31.12.2005 को 8,825=00 पा रहे थे। शासनादेश संख्या–27/××vii (7)(स्प0–1)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2 शासनादेश संख्या– 395/××vii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008) के प्रस्तर–6 में दिये गये अनुसार पूर्व वेतनमान में दिनांक 01.01.06 को देय वेतनवृद्धि को बिना जोड़े प्राप्त वेतन के सापेक्ष दि पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में फिटमेन्ट तालिका के अनुसार वेतन एवं ग्रेड वेतन में 01.01.2006 को देय वे वेतन निर्धारित किया जाना था अर्थात 01 जनवरी, 2006 को देय वेतन वृद्धि केवल एक बार नये वेतन थी, जिसके अनुसार श्री जोशी का वेतन दिनांक 01.01.2006 के पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि से पूर्व 8,825=00 के सापेक्ष फिटमेन्ट तालिका के अनुसार रूपये 16,420=00 तथा ग्रेड वेतन रूपये 5,400 21,820=00 में दिनांक 01.01.06 को देय वेतन वृद्धि 21820 का 3 प्रतिशत रूपये 660=00 जोड़ते हुए तथा ग्रेड वेतन रूपये 5,400=00 कुल रूपये 22,480=00 निर्धारित किया जाना चाहिए था। परन्तु प्र जोशी का दिनांक 01.01.06 के वेतन पूर्व वेतनमान में प्राप्त वेतन रूपये 8,825=00 में 01.01.06 को दे 275=00 जोड़ कर रूपये 9,100=00 में पुनः 9100 का 3 प्रतिशत रूपये 273=00 जोड़ कर रूपये 9,3 नये वेतन बैण्ड में फिटमेन्ट तालिका के अनुसार रूपये 17,440=00 तथा ग्रेड वेतन रूपये 5,400 22,840=00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन मानों में त्रुटिपूर्ण फलस्वरूप श्री गोकुल चन्द जोशी, अवर अभियन्ता को संलग्न विवरणानुसार (परिशिष्ट ख) सम्परीक्षा 34,946=00 का अधिक भुगतान हुआ। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(28) विनियमितीकरण से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत फलस्वरूप अधिक भुगतान रूपये 5,65,423=00 :– श्री आनन्द राम आर्या, अवर अभियन्ता की व्यक्तिगत पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि आवास विभाग, उत्तरॉचल शासन के कार्याल 3534/V/आ0–2006 –08(आ0)/ 2005 दिनांक 22.12.06 (संलग्नक–6) द्वारा श्री आर्या को तात्कालि अभियन्ता पद पर विनियमित किया गया था। श्री आर्या 01.01.2006 को वेतनमान 4500–125–70 6,500=00 पा रहे थे, जिसे शासनादेश संख्या 2293/V–आ–06–146 (आ)/2006 दिनांक 27.04.07 द्वा 06 से वेतनमान 5000–150–8000 में उच्चीकृत किया गया था। श्री आर्या की वेतनवृद्धि तिथि 01 विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या– 268/V– आ–2008–155(आ0)/05, दिनांक 7 फ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– वे0 आ0 2–560/ दस– 45 (एम0)–99 दि

Scanned with CamScanner

अनुरूप समयमान वेतनमान की व्यवस्था विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने पर, श्री आर्या को 14 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01.03.2002 से प्रथम प्रोन्नत वेतनमान 8000-275-13200 स्वीकृत करते हुए वेतन निर्धारण किया गया। उक्त शासनादेश दिनांक 02.12.01 के प्रस्तर 1(2) के अनुसार 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नत वेतनमान तभी देय था जबकि नियमित पद पर कर्मचारी नियमित हो चुका हो। ऐसी स्थिति में श्री आर्या को नियमितीकरण की तिथि से पूर्व प्रोन्नत वेतनमान देय नहीं था। इस प्रकार श्री आर्या को विनियमितीकरण की तिथि से पूर्व अनियमित रूप से प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप सम्परीक्षा तिथि तक संलग्न विवरणानुसार (परिशिष्ट-'ग') रूपये 5,65,423=00 अधिक भुगतान किया गया। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(29) **नियमितीकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होना :-** श्री बलराम सिंह, सर्वेयर, श्री शिशुपाल सिंह सर्वेयर एवं श्री किशन स्वरूप सिंह, चौकीदार की सेवा पुस्तिकाओं एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि व्यक्तिगत पत्रावलियों में संलग्न नोट शीट संख्या-1 के अनुसार उपरोक्त तीनों कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 1991 में तीन माह हेतु तदर्थ रूप से की गयी थी तथा नियुक्ति पत्र भी तीन माह की सेवा हेतु निर्गत किये गये थे। उक्त सेवा अवधि को समय-2 पर बढ़ाने हेतु वर्ष 1997 तक अनुमोदन प्राप्त किया गया, तत्पश्चात् इनकी सेवाओं को तदर्थ के स्थान पर अस्थाई मानते हुए सेवा अवधि बढ़ाने की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। पत्रावली में विनियमितीकरण सम्बन्धी कोई आदेश सम्बद्ध नहीं था एवं न ही सेवा पुस्तिका में अंकित था। सेवा पुस्तिका में पूर्व में अंकित सेवा के प्रकार 'तदर्थ' को काटकर 'अस्थाई' अंकित किया गया था जो बिना विनियमितीकरण आदेश के अमान्य एवं आपत्तिजनक था। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त तीनों कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी मानते हुए समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नत वेतनमान भी स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों कर्मचारियों का विनियमितिकरण आदेश के साथ, विनियमितिकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जाये अन्यथा उपरोक्त प्रोन्नत वेतनमान के रूप में प्रदत्त लाभ एवं अन्य प्रदत्त लाभों की वापसी अपेक्षित होगी।

(30) **रोड वाइडनिंग का प्रावधान किये बिना मानचित्र स्वीकृत किया जाना:-**

(क) रसीद संख्या 77/594 दिनांक 08.02.11 द्वारा मानचित्र संख्या- मान0/हरि0/एस0डब्ल्यू- 222/2010-11 की स्वीकृति के सापेक्ष विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क आदि रूपये 22,027=00 प्राप्त थे। मानचित्र पत्रावली की जाँच में पाया गया कि नोट शीट संख्या-1 पर प्राधिकरण मानचित्रकार की टिप्पणी/ आख्या के अनुसार महायोजना में सन्दर्भित स्थल पर 9.00 मीटर सड़क आवश्यक थी। प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूखण्ड के सामने की सड़क की चौड़ाई 4.57 मीटर थी। अतः सड़क के मध्य बिन्दु से 4.50 मीटर अर्थात भूखण्ड सीमा से 4.50-4.57/2= 2.215 मीटर स्थान रोड वाइडनिंग हेतु प्रावधानित करते हुए मानचित्र स्वीकृत किया जाना चाहिए था। परन्तु मानचित्र में रोड़ वाइडनिंग का प्रावधान किये बिना ही मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया। यद्यपि प्राधिकरण को आर्थिक रूप से कोई हानि नहीं हुई परन्तु यह महायोजना एवं प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों के विपरीत था, इस ओर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) इसी प्रकार रसीद संख्या 78/594 दिनांक 08.02.11 द्वारा मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0- 221/2010-11 की स्वीकृति के सापेक्ष विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क आदि रूपये 22,027=00 प्राप्त था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उपरोक्तानुसार इस मानचित्र में भी रोड़ वाइंडनिग का प्रावधान किये बिना ही मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया था।

(31) **भूखण्ड की माप एवं की-प्लान में अन्तर के उपरान्त भी मानचित्र स्वीकृत किया जाना:-** रसीद संख्या 582/68 दिनांक 24.01.11 द्वारा मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0-208/10-11 की स्वीकृति के सापेक्ष श्री संजय अग्रवाल से विकास एवं पर्यावरण शुल्क राशि रूपये 39,222=00 प्राप्त थे। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न नोटशीट सं0-2 प्रस्तर-घ-1 एवं घ-2 में अवर अभियन्ता द्वारा अंकित भूखण्ड मापों में अन्तर था। इसके अतिरिक्त स्वामित्व से सम्बन्धित संलग्न अभिलेखों में भूखण्ड के साइट प्लान तथा प्रस्तुत मानचित्र के की-प्लान में अन्तर था (साइट प्लान में भूखण्ड के पश्चिमी भाग में दोनों सड़कों के बीच कोने वाली जगह में श्री सतपाल का आवासीय भवन दर्शाया गया है जब कि की-प्लान में उस स्थान पर दुकान दर्शायी गयी है। इस प्रकार भूखण्ड की माप एवं की-प्लान में अन्तर होने पर भी मानचित्र किस प्रकार स्वीकृत किया गया, स्पष्ट नहीं हो सका। स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(32) **मानचित्र उपविधि के अनुसार वृक्षों का प्रावधान कराये बिना मानचित्र स्वीकृत किया जाना:-** रसीद संख्या-26/546 दिनांक 16.07.09 द्वारा श्री सचिन एवं श्री नितिन अहलूवालिया द्वारा खसरा नं0-665 जगजीतपुर हरिद्वार में प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल के मानचित्र से सम्बन्धित विकास शुल्क आदि रूपये 3,42,371=00 जमा थे। सम्बन्धित पत्रावली संख्या- मान0/हरि0/एस0डब्ल्यू0-58/09-10 की जाँच में पाया गया कि भूखण्ड का क्षेत्रफल 6660 वर्गमीटर तथा खुले क्षेत्र का क्षेत्रफल 6044.52 वर्गमीटर था। प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुज्ञापत्र संख्या 1291/महा0-1 (क) मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0-58/2009-10 दिनांक 29.07.09 के बिन्दु संख्या 21 में भवन के अग्रेतर भाग में 02 (दो) पेड़ लगाये जाने का प्रावधान किया गया था। भवन मानचित्र उपविधि संख्या 02.02.03 के बिन्दु संख्या- 5 में खुले क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग पर 150 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्ष लगाया जाना आवश्यक था। इस प्रकार प्रस्तावित मानचित्र में

Scanned with CamScanner

खुले क्षेत्र 6044.52 वर्गमीटर ... शत भाग 1208.904 वर्ग मीटर अर्थात 0.1209 हेक्टेयर क्षे... हैक्टेयर की दर से न्यूनतम 18 ... का प्रावधान आवश्यक था। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(33) मानचित्र पत्रावली संख्या–मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0–230/2010–11 में पायी गयी ...
रसीद संख्या 595/45 दिनांक 22.02.11 द्वारा श्री विवेक भार्गव पुत्र स्व0 श्री के0सी0 भार्गव द्वारा बिल्केश्वर नगर, हरिद्वार के आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के सापेक्ष विकास शुल्क आदि रूपये ... थे/पत्रावली की जाँच में पाया गया कि विक्रय विलेख दिनांक 07.03.80 के अनुसार उक्त प्लाट श्री ... नाम आबन्टित था जिस पर दिनांक 13.08.80 को नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हरिद्वार द्वारा 12... 113.42 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया वाले भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत था। वर्तमान मे उक्त पर प्र... प्रस्तावित था। पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाणपत्र संख्या 453, ग्राम पंचायत जौली ग्रान्ट, वि0 खण्ड, ... के अनुसार श्री किशन चन्द की मृत्यु दिनांक 09.06.08 को हुई। उक्त प्रमाण पत्र में नाम कृष्ण चन्द ... किशन चन्द अंकित था। श्री विवेक भार्गव द्वारा उक्त प्लाट के भूस्वामित्व के सम्बन्ध में एक, वसीयतनामा ... 07 प्रस्तुत किया गया (संलग्न–7) जो रजिस्टर्ड नहीं था, साथ ही उपरोक्त विक्रय विलेख दिनांक 07... वसीयत नामा दिनांक 14.12.07 में श्री कृष्ण चन्द्र भार्गव के हस्ताक्षरों में पर्याप्त अन्तर था। स्पष्ट था ... भूस्वामित्व की जाँच किये बिना ही मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त पूर्व स्वीकृत मानचित्र में भूकम्प रोधी निर्माण का प्रावधान नहीं था। वर्तमान ... भूकम्प रोधी प्रावधान मानचित्र में लिए जाने का प्रमाणपत्र दिया गया था। पूर्व निर्मित भवन में भूकम्प... गये थे अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं था एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। ... कि भूतल में भूकम्परोधी प्रावधान न किये गये हों, प्रथम तल में भूकम्परोधी प्रावधान किस प्रकार किये ... सम्बन्ध में कोई तथ्य/ आख्या प्रस्तुत नहीं किये गये।

(34) वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना:– मानचित्र पत्रावली संख्या– मा... डब्ल्यू–90/09–10, मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0– 87/09–10, एवं मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0–... क्रमशः श्री योगेन्द्र सिंह, 160 बिल्केश्वर कालोनी, हरिद्वार, श्री नीस सिंह 175 विल्केश्वर कालोनी हरि... राशि गुप्ता 162 बिल्केश्वर कालोनी हरिद्वार के आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत थे। पत्रावलियों की ... कि भूमि विक्रय विलेखों के अनुसार उपरोक्त भूखण्ड वन विभाग की भूमि से लगे हुए थे। अतः मान... समय वन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित था। एकल खिड़की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश ... आ0–2008–59(आ0)/2008 दिनांक 02.06.08 में एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त मानचि... प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित विभाग को सूचित किये जाने का प्रावधान था। परन्तु ... मानचित्रों में न तो वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और न ही मानचित्र स्वी... विभाग को सूचना ही प्रेषित की गयी थी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(35) शमन मानचित्र में भूकम्परोधी प्रमाणपत्र आदि प्राप्त न किया जाना:– ... संख्या–नो0/कन0/153/08–09 में श्री अनुज मिगलानी एवं श्री सुरेश छाबड़ा को पत्रांक 1317 दिना... शमन शुल्क रूपये 1,60,035=00 जमा करने, स्ट्रक्यर डिजाइन व भूकम्परोधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, ... को ध्वस्त करने सम्बन्धी शपथपत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। यद्यपि दिनांक 11.08.09 को ... 1,60,035=00 जमा करा दिये गये परन्तु अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। प्राधिकरण की ओर से ... के उपरान्त उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की गयी एवं न ही सम्परीक्षा तिथि तक मानचित्र नि... स्ट्रकाइल डिजाइन, भूकम्परोधी प्रमाणपत्र आदि प्राप्त कर, ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में स्थलीय निरी... मानचित्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

(36) शमन मानचित्र निर्गत न किया जाना:– शमन मानचित्र पत्रावली संख्या– नो0/ हरि0/... बलदेव राज की जाँच से प्रकाश में आया कि शमन आदेशों के क्रम में पत्रांक 1496/नो0 हरि0/113/... 03.03.09 द्वारा शमन शुल्क जमा कराने तथा अशमनीय भाग को तोड़े जाने हेतु शपथपत्र प्रस्तुत करने ... था। दिनांक 08.04.10 तक सम्पूर्ण शमन राशि ब्याज सहित जमा करायी जा चुकी थी। शपथ पत्र सम... अप्राप्त था जिसके अभाव में शमन मानचित्र निर्गत नहीं किया गया था। दिनांक 24.04.09 के पश्चात प्रा... से उपरोक्त शपथपत्र हेतु कोई मांग नहीं की गयी। वर्तमान में अर्थात् शमन आदेश के लगभग ढाई ... शपथ पत्र प्राप्त करने का औचित्य नहीं है, अतः स्थलीय जाँच करवाते हुए कि अशमनीय भाग ध्वस्त ... नहीं, मानचित्र निर्णत किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार पत्रावली संख्या– नो0/हरि0/152/05–06 श्रीमति गंगा रानी को ... 1497/नो0/हरि0/152/05–06 दिनांक 03.03.09 द्वारा शमन शुल्क जमा करने तथा ध्वस्तीकरण ... प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। दिनांक 31.08.09 तक शमन शुल्क जमा किया जा चुका था परन्तु शपथ...

...तमान में स्थलीय जाँच करवाते हु...
...अपेक्षित है।

(37) मार्ग की चौड़ाई में अन्त...
...नो0/हरि0/13/09–10 श्री संजय...
...स्वीकृत मानचित्र संख्या मान0/हरि...
...दर्शायी गयी थी जबकि शमन पत्राव...
...किस प्रकार शमन आदेश किये ग...

(38) भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिले...
...दिनांक 02.07.09 द्वारा श्री सुनील ति...
...था। सम्बन्धित पत्रावली संख्या–नो0...
...14.03.09 के क्रम में शमनशुल्क आ...
...दिनांक 09.03.09 द्वारा निर्गत थे। प...
...भूस्वामित्व अभिलेख के रूप में रजि...
...सम्परीक्षा तिथि तक अप्राप्त थी।...
...आपत्तिजनक था। आवश्यक कार्यवा...

(39) मोबाइल फोन व्यय की अ...
...तथा चैक संख्या 887939 दिनांक 2...
...500=00 तथा चैक सं0 712271 दि...
...21.02.11 द्वारा श्री अनिल त्यागी, अधिश...
...फोन व्यय की प्रतिपूर्ति भुगतान कि...
...अभियन्ता को व्यक्तिगत/ निजी ...
...स्वीकृत किये गये थे। उल्लेखनीय...
...था तथा साथ ही इस प्रकार के अ...
...अनुमोदन प्राप्त कर दिखाया जाये अ...

(40) यात्रा भत्ता देयक में पायी...
...सेमवाल, सचिव, ह0वि0प्रा0 को पिथौ...
...किया गया था। देयक की जाँच में...
...प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0 की दर...
...नहीं था और न ही परिवार सहित...
...कुन्तल का 2/3 भाग अर्थात् 40 क...
...परिवार सहित यात्रा की पुष्टि कराई...
यात्रा भत्ता देयक उपाध्यक्ष...
...स्वीकृत एवं आहरित था।

(41) नाम परिवर्तन शुल्क कम लि...
...दिनांक 22.02.2011 द्वारा श्रीमती...
...शासनादेश संख्या 728 दिनांक 06.0...
उपर्युक्त शासनादेश दिनांक...
...परिवर्तन शुल्क लिया जाना था। उ...
...परिसम्पत्ति का मूल्य सर्किल दर...
...12,640=00 नाम परिवर्तन शुल्क लि...
...रूपये 8500=00 लिये जाने के फल...
...है।

(42) विद्युत अनुरक्षण कार्यो में...
...इलैक्ट्रिक कम्पनी हरिद्वार को माह...
...तथा सचिव आवास में विविध विद्यु...
...कटौती उपरान्त रूपये 55,241=00...
...जुलाई, 2009 में उपाध्यक्ष कैम्प का...
...आयकर व्यापार कर कटौती उपरान्त...

Scanned with CamScanner

खुले क्षेत्र 6044.52 वर्गमीटर ...शत भाग 1208.904 वर्ग मीटर अर्थात 0.1209 हेक्टेयर क्षेत्र हैक्टेयर की दर से न्यूनतम 18 ... का प्रावधान आवश्यक था। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(33) मानचित्र पत्रावली संख्या–मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0–230/2010–11 में पायी गयी रसीद संख्या 595/45 दिनांक 22.02.11 द्वारा श्री विवेक भार्गव पुत्र स्व0 श्री के0सी0 भार्गव द्वारा बिल्केश्वर नगर, हरिद्वार के आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के सापेक्ष विकास शुल्क आदि रूपये थे/पत्रावली की जाँच में पाया गया कि विक्रय विलेख दिनांक 07.03.80 के अनुसार उक्त प्लाट श्री नाम आबन्टित था जिस पर दिनांक 13.08.80 को नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हरिद्वार द्वारा 122 113.42 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया वाले भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत था। वर्तमान मे उक्त पर प्र प्रस्तावित था। पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाणपत्र संख्या 453, ग्राम पंचायत जौली ग्रान्ट, वि0 खण्ड, के अनुसार श्री किशन चन्द की मृत्यु दिनांक 09.06.08 को हुई। उक्त प्रमाण पत्र में नाम कृष्ण चन्द किशन चन्द अंकित था। श्री विवेक भार्गव द्वारा उक्त प्लाट के भूस्वामित्व के सम्बन्ध में एक, वसीयत 07 प्रस्तुत किया गया (संलग्न–7) जो रजिस्टर्ड नहीं था, साथ ही उपरोक्त विक्रय विलेख दिनांक 07 वसीयत नामा दिनांक 14.12.07 में श्री कृष्ण चन्द्र भार्गव के हस्ताक्षरों में पर्याप्त अन्तर था। स्पष्ट था भूस्वामित्व की जाँच किये बिना ही मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त पूर्व स्वीकृत मानचित्र में भूकम्प रोधी निर्माण का प्रावधान नहीं था। वर्तमान भूकम्प रोधी प्रावधान मानचित्र में लिए जाने का प्रमाणपत्र दिया गया था। पूर्व निर्मित भवन में भूकम्प गये थे अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं था एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। कि भूतल में भूकम्परोधी प्रावधान न किये गये हों, प्रथम तल में भूकम्परोधी प्रावधान किस प्रकार किये सम्बन्ध में कोई तथ्य/आख्या प्रस्तुत नहीं किये गये।

(34) वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना:– मानचित्र पत्रावली संख्या– म डब्ल्यू–90/09–10, मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0– 87/09–10, एवं मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0– क्रमशः श्री योगेन्द्र सिंह, 160 बिल्केश्वर कालोनी, हरिद्वार, श्री नीस सिंह 175 विल्केश्वर कालोनी ह राशि गुप्ता 162 बिल्केश्वर कालोनी हरिद्वार के आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत थे। पत्रावलियों की कि भूमि विक्रय विलेखों के अनुसार उपरोक्त भूखण्ड वन विभाग की भूमि से लगे हुए थे। अतः मा समय वन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित था। एकल खिड़की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश आ0–2008–59(आ0)/2008 दिनांक 02.06.08 में एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त मानि प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित विभाग को सूचित किये जाने का प्रावधान था। परन्तु मानचित्रों में न तो वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और न ही मानचित्र स्वी विभाग को सूचना ही प्रेषित की गयी थी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(35) शमन मानचित्र में भूकम्परोधी प्रमाणपत्र आदि प्राप्त न किया जाना:– संख्या–नो0/कन0/153/08–09 में श्री अनुज मिगलानी एवं श्री सुरेश छाबड़ा को पत्रांक 1317 दिना शमन शुल्क रूपये 1,60,035=00 जमा करने, स्ट्रक्यर डिजाइन व भूकम्परोधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, को ध्वस्त करने सम्बन्धी शपथपत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। यद्यपि दिनांक 11.08.09 को 1,60,035=00 जमा करा दिये गये परन्तु अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। प्राधिकरण की ओर से के उपरान्त उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की गयी एवं न ही सम्परीक्षा तिथि तक मानचित्र स्ट्रकाइल डिजाइन, भूकम्परोधी प्रमाणपत्र आदि प्राप्त कर, ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में स्थलीय निरी मानचित्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

(36) शमन मानचित्र निर्गत न किया जाना:– शमन मानचित्र पत्रावली संख्या– नो0/ हरि0/ बलदेव राज की जाँच से प्रकाश में आया कि शमन आदेशों के क्रम में पत्रांक 1496/नो0 हरि0/113/ 03.03.09 द्वारा शमन शुल्क जमा कराने तथा अशमनीय भाग को तोड़े जाने हेतु शपथपत्र प्रस्तुत करने था। दिनांक 08.04.10 तक सम्पर्ण शमन राशि ब्याज सहित जमा करायी जा चुकी थी। शपथ पत्र सम अप्राप्त था जिसके अभाव में शमन मानचित्र निर्गत नहीं किया गया था। दिनांक 24.04.09 के पश्चात प्रा से उपरोक्त शपथपत्र हेतु कोई मांग नहीं की गयी। वर्तमान में अर्थात् शमन आदेश के लगभग ढाई व शपथ पत्र प्राप्त करने का औचित्य नहीं है, अतः स्थलीय जाँच करवाते हुए कि अशमनीय भाग ध्वस्त कि नहीं, मानचित्र निर्णत किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार पत्रावली संख्या– नो0/हरि0/152/05–06 श्रीमति गंगा रानी को 1497/नो0/हरि0/152/05–06 दिनांक 03.03.09 द्वारा शमन शुल्क जमा करने तथा ध्वस्तीकरण स प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। दिनांक 31.08.09 तक शमन शुल्क जमा किया जा चुका था परन्तु शपथ

Scanned with CamScanner

395

...नान में स्थलीय जाँच करवाते हुए कि अशमनीय भाग ध्वस्त किया गया अथवा नहीं, मानचित्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

(37) मार्ग की चौड़ाई में अन्तर के उपरान्त भी मानचित्र शमन किया जाना:– शमन पत्रावली संख्या–नो0/हरि0/13/09–10 श्री संजय रावत, मुखिया गली, भूपत वाला कलां, हरिद्वार की जाँच में पाया गया कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या मान0/हरि0/एस0 डब्ल्यू0–25/83/08–09 में भूखण्ड के आगे 4.57 मीटर चौड़ी सड़क दर्शायी गयी थी जबकि शमन पत्रावली में शमन मानचित्र में उक्त सड़क की चौड़ाई 3.56 मीटर अंकित थी। ऐसी स्थिति में किस प्रकार शमन आदेश किये गये, स्पष्ट नहीं हो सका। स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(38) भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त किये बिना शमन आदेश पारित किया जाना:– रसीद संख्या 545/38 दिनांक 02.07.09 द्वारा श्री सुनील तिवारी, गायत्री विहार, भोपतवाला, हरिद्वार द्वारा आंशिक शमन शुल्क जमा कराया गया था। सम्बन्धित पत्रावली संख्या–नो0/हरि0/326/2005–06 की जाँच में पाया गया कि शमन स्वीकृति आदेश दिनांक 04.03.09 के क्रम में शमनशुल्क आदि रूपये 39,449=00 जमा कराने के आदेश पत्रांक 4919/नो0/हरि./326/08–09 दिनांक 09.03.09 द्वारा निर्गत थे। पत्रांक मीमो/नोटिस/हरि0/326/05–06 दिनांक 17.04.06 द्वारा अन्य के अतिरिक्त भूस्वामित्व अभिलेख के रूप में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा दाखिल खारिज की सत्यापित प्रति की मांग की गई थी। जो सम्परीक्षा तिथि तक अप्राप्त थी। भूस्वामित्व की पुष्टि किये बिना शमन आदेश पारित किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(39) मोबाइल फोन व्यय की अनियमित प्रतिपूर्ति:– उप सम्परीक्षा माहों में चैक संख्या 712270 दिनांक 29.07.09 तथा चैक संख्या 887939 दिनांक 21.02.11 द्वारा श्री रत्नेश कुमार, वित्त अधिकारी को क्रमशः रूपये 500=00 एवं रूपये 500=00 तथा चैक सं0 712271 दिनांक 29.07.09, चैक सं0 712419 दिनांक 27.08.09 तथा चैक संख्या 887938 दिनांक 21.02.11 द्वारा श्री अनिल त्यागी, अधिशासी अभियन्ता को क्रमशः रूपये 750=00 रूपये 750=00 एवं रूपये 750=00 मोबाइल फोन व्यय की प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया था। उपाध्यक्ष की स्वीकृति आदेश 11.06.09 द्वारा वित्त अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता को व्यक्तिगत/ निजी मोबाइल फोन के भुगतान हेतु क्रमशः रूपये 500=00 एवं रूपये 750=00 प्रतिमाह स्वीकृत किये गये थे। उल्लेखनीय है कि मोबाइल फोन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियमों/उपनियमों में कोई प्रावधान नहीं था तथा साथ ही इस प्रकार के आवर्तक व्यय शासन के पूर्वानुमोदन के मान्य नहीं थें। उक्त भुगतान हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त कर दिखाया जाये अन्यथा किये गये भुगतान की वसूली अपेक्षित होगी।

(40) यात्रा भत्ता देयक में पायी गई अनियमिततायें:– चैक संख्या 104109 दिनांक 31.02.09 (31-12-09) द्वारा श्री हरि चन्द्र सेमवाल, सचिव, ह0वि0प्रा0 को पिथौरागढ़ से हरिद्वार स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रूपये 26,792=00 भुगतान किया गया था। देयक की जाँच में पाया गया कि घरेलू सामान 60 कुन्तल ढुलाई हेतु 483 कि0मी0 हेतु रूपये 0.30=00 प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0 की दर से रूपये 8,694=00 भुगतान दर्शाया गया था। देयक में परिवार का विवरण अंकित नहीं था और न ही परिवार सहित यात्रा का कोई प्रमाण दिया गया था। ऐसी स्थिति में 60 कुव्टल के स्थान पर 60 कुन्तल का 2/3 भाग अर्थात् 40 कुव्टल की सीमा तक ही 40×0.30×483 = रूपये 5,796=00 ढुलान व्यय अनुमन्य था। परिवार सहित यात्रा की पुष्टि कराई जायें अन्यथा 8,694–5,796 = रूपये 2,898=00 की वसूली अपेक्षित होगी।

यात्रा भत्ता देयक उपाध्यक्ष/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं था। उक्त यात्रा भत्ता स्वयं द्वारा स्वीकृत एवं आहरित था।

(41) नाम परिवर्तन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रूपये 4,140=00:– रसीद संख्या 595/41 दिनांक 22.02.2011 द्वारा श्रीमती मीना से इन्द्रलोक आवासीय योजना के 162 वर्ग मीटर भूखण्ड संख्या 79 हेतु रूपये 8500=00 नाम परिवर्तन शुल्क प्राप्त था। शासनादेश संख्या 728 दिनांक 06.02.97 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसम्पत्ति मूल्य के 01 प्रतिशत की दर से नाम परिवर्तन शुल्क लिया जाना था।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06.02.97 के प्रावधानानुसार उपनिबन्धक सदर हरिद्वार– प्रथम के प्रालेख संख्या 7863 दिनांक 23.09.10 के अनुसार परिसम्पत्ति का मूल्य सर्किल दर के आधार पर रूपये 12,64,000=00 था, जिस पर 01 प्रतिशत की दर से रूपये 12,640=00 नाम परिवर्तन शुल्क लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्रीमति मीना से रूपये 12,640=00 के स्थान पर रूपये 8500=00 लिये जाने के फलस्वरूप 12,640=00– 8,500=00 = 4,140=00 की आर्थिक क्षति हुई। प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

(42) विद्युत अनुरक्षण कार्यो में पाई गई अनियमिततायें:– चैक संख्या 712233 दिनांक 15.07.09 द्वारा मै0 गुप्त इलैक्ट्रिक कम्पनी हरिद्वार को माह जून, 2009 में उपाध्यक्ष कैम्प कार्यालय में विविध विद्युत कार्यो हेतु रूपये 43,972.37 तथा सचिव आवास में विविध विद्युत कार्यो हेतु रू0 14,963.25 कुल रूपये 58,935.62 के सापेक्ष आयकर व्यापार कर कटौती उपरान्त रूपये 56,241=00 भुगतान किया गया था। इसी प्रकार चैक संख्या 712296 दिनांक 07.08.09 द्वारा माह जुलाई, 2009 में उपाध्यक्ष कैम्प कार्यालय में विविध विद्युत कार्यो हेतु रूपये 7,935=75 कुल रूपये 50,311=99 के सापेक्ष आयकर व्यापार कर कटौती उपरान्त रूपये 47,158=00 भुगतान किया गया था।

Scanned with CamScanner

देयकों एवं पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु किसी भी स्तर ... तैयार नहीं किया गया था। साथ ही कोटेशन/ टेण्डर प्रक्रिया से बचने के लिए कार्य को टुकड़ों में 15,000=00 से कम धनराशियों के बिल प्राप्त किये गये थे, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के ... उल्लघंन था। अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानानुसार प्रमाणपत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित नहीं कि...

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कार्यो हेतु फर्म को कोई कार्यादेश/ आपूर्ति आदेश प्राधिकरण के ... नहीं था, कम से कम पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था।

द्वितीयतः बिलो में अंकित सामग्री को विद्युत अनुरक्षण पंजी में दर्ज किया गया था जिसके निर्गम ... कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। कतिपय स्थाई प्रकृति की सामग्री की स्थाई सामग्री पंजिका में प्रविष्टि ... उदाहरण निम्नवत् हैः–

बिल संख्या/दिनांक/धनराशि	सामग्री का विवरण
38/10.06.09/14963=25	वाल फैन खेतान–5 नग@18...
34/06.06.09/13482=50	गीजर 25 लीटर–2 नग@54...
68/14.0709/ 4304=37	सीलिंग फैन "48"–1 नग@1...
70/14.07.09/3435=75	सीलिंग फैन "48"–2 नग@1...
74/21.07.09/8948=75	वाल फैन खेतान–1 नग@18...
88/24.07.09/4500=00	पैडस्टल फैन –1 नग@2010...
90/31.07.09/14553=75	एक्जास्ट फैन खेतान–1 नग@...
40/19.06.09/11332=12	सीलिंग फैन "48"खेतान –4 ...
	प्रेस– स्टीम–फिलिप्स–1नग@...

कार्यालय प्रयोग हेतु स्टीम प्रेस क्रय किये जाने का औचित्य भी स्पष्ट नहीं हो सका।

(43) रसीद बुक छपाई में सुरक्षा एवं गोपनीयता का अभावः– चैक संख्या 712401 दिनांक 1... भार्गव प्रिन्टर्स, हरिद्वार को 100 नग रसीद बुक छपाई हेतु बिल संख्या 72 दिनांक 10.08.09 के सापेक्ष ... भुगतान किया गया था। रसीद बुक छपाई हेतु फर्म से गोपनीयता एवं सुरक्षा हेतु न तो कोई अनुबन्ध ... न ही अतिरिक्त प्रतियां न छापे जाने व छपाई उपरान्त ब्लाक/स्क्रीन आदि नष्ट किये जाने सम्बन्धी श... किया गया था। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रातियां छपने तथा उनके दुरूपयोग की पूर्ण सम्भावना थी। य... रूप से आपत्तिजनक थी। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

2. परफोरमेन्स के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बिन्दुः–

(1) प्राधिकरण में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत निर्माण रोकने हेतु ठोस नीति का अभाव परिलक्षित ... निर्माण को निर्माण कार्य प्रारम्भ होते ही रोकने की कार्यवाही न करके पर्याप्त निर्माण होने के पश्चात ही ... जाना दृष्टिगत हुआ। उदाहरणार्थ–अमन एन्क्लेव, सलेमपुर महदूद, ज्वालापुर, हरिद्वार में श्री दिनेश गोयल ... कालम खड़े करके स्लैब डालने तथा प्रथम तल का कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त ... नो0/ज्वा0/18/2010–11 दिनांक 12.05.10 निर्गत किया गया, जब कि यह कार्यवाही नींव स्तर पर ... इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या–3552/ प्रशा0–2 (ख)–7/2008–09 दिनांक 05.12.08 ... कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निदेशित भी किया गया था परन्तु कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुआ।

(2) किसी क्षेत्र विशेष में, भूखण्ड विशेष पर अथवा भवन विशेष का मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ... प्राधिकरण के पास इसका कोई पारदर्शी विवरण उपलब्ध नहीं था।

(3) शमन (Compounding) प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा आवेदक से मात्र शपथ पत्र प्राप्त कर मानचि... जाता है। शमन स्वीकृति आदेशों के अनुसार ध्वस्त किये जाने वाले अशमनीय निर्माण को शपथ पत्र के ... किया गया अथवा नहीं, इस पर कोई आख्या प्राप्त न किया जाना परिलक्षित हुआ।

(4) प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्षो में अवस्थापना विकास समिति की कोई सभा आयोजित नहीं की ग... विकास समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराये गये थे।

(5) आलोच्य अवधि में प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन किया ग... की दशा में उसका उल्लेख सम्परीक्षा आख्या में यथा स्थान किया गया है।

Scanned with CamScanner

394

(6) भू– उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों में भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि अग्रिम रूप से जमा न करायें जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण को आर्थिक क्षति के साथ–2 मानव श्रम एवं समय की क्षति सम्भावित होना पाया गया। उदाहरणार्थ– मै0 बाविएरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा0 लि0, श्यामपुर, हरिद्वार से सम्बन्धित पत्रावली संख्या– वी0/कन0/72/06–07 का प्रकरण वर्ष 2006 से लम्बित था। जिसमें दिनांक 15.06.2006 को नोटिस जारी होने के उपरान्त दिनांक 20.06.2006 को मानचित्र स्वीकृति हेतु तथा दिनांक 10.07.06 को शमन हेतु आवेदन किया गया। तदुपरान्त प्राधिकरण पत्रांक 2228/नो0/कन0/72/06–07 दिनांक 13.09.06 द्वारा भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना कर रूपये 17,05,375=00 जमा कराये जाने पर दिनांक 09.02.07 को उक्त शुल्क जमा न करायें जाने पर दिनांक 09.02.07 को उक्त शुल्क वसूली हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को आर0सी0 प्रेषित की गयी। उपर्युक्त भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क सम्परीक्षा तिथि माह अगस्त, 2011 तक प्राधिकरण को अप्राप्त था तथा उपरोक्त वाद भी लम्बित था। यदि भू– उपयोग परिवर्तन शुल्क की राशि अग्रिम जमा करा ली जाती तो प्राधिकरण को आर्थिक के साथ–2 मानव समय एवं श्रम की बचत सम्भावित थी।

वित्तीय स्थितिः– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों से जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य वर्षो में संस्था की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थीः–

	2009–10	2010–11
1 अप्रैल को प्रार0 अवशेष	29,86,46,534=55	36,21,62,908=10
वर्ष की आय	17,58,78,843=83	12,07,97,978=00
योगः–	47,45,25,378=38	48,29,60,886=10
वर्ष का व्यय	11,23,62,470=28	15,89,66,416=65
31 मार्च को इतिशेष	36,21,62,908=10	32,39,94,469=45
जोडिए:– (i) बिना भुने चैकों की राशि	1,19,53,514=00	6,57,996=00
(ii) विगत वर्षो का बैंक समाधान अन्तर	49,312=00	49,312=00
	37,41,65,734=10	32,47,01,777=45
घटाइए:–		
(i) चैक संग्रह हेतु जमा परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं	1,49,150=00	3,49,862=00
(ii) बैंक द्वारा त्रुटिपूर्ण डेबिट	1,300=00	500=00
(iii) विगत वर्षो का बैंक समाधान अन्तर	56,400=00	56,400=00
31 मार्च को वास्तविक इतिशेष	**37,39,58,884=10**	**32,42,95,015=45**

इतिशेष का विवरणः–

	2009–10	2010–11
(1) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया खाता सं0– 8000/1577844269	4,11,27,840=09	3,61,20,714=58
(2) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स खाता सं0– 386/52452040000010	3,19,41,181=16	1,91,73,451=53
(3) —तदैव— खाता सं0– 08	36,95,445=41	77,16,319=41
(4) भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0– 11137	8,57,640=82	8,88,025=82
(5) पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0– 5738	19,360=60	44,224=60
(6) —तदैव— खाता सं0–5738(आटोस्वीप)	81,40,000=00	80,40,000=00
(7) पी0एल0ए0	3,64,26,875=58	9,90,645=58 (99,06,545=58)
(8) बैंक आफ महाराष्ट्र खाता सं0–1001	67,64,298=91	34,33,005=40
(9) इलाहाबाद बैंक खाता सं0–20342084711	98,23,844=28	1,00,41,776=28
(10) यूनियन बैंक खाता सं0– 51578	45,98,102=14	1,02,68,700=14
(11) विजया बैंक खाता सं0– 451	5,10,33,115=61	4,48,19,268=61
(12) एक्सिस बैंक खाता सं0– 25513	12,84,868=00	13,30,436=00
(13) पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0– 3924000100137608	1,82,46,311=50	1,25,12,547=50
(15) सावधि जमा	16,00,00,000=00	16,00,00,000=00
योगः– रूपये	**37,39,58,884=10**	**32,42,95,015=45**

टिप्पणी:–

(1) रोकड–बही, लेजर किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे। सम्बन्धित कर्मचारि
हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

(2) रोकड़ बही के अवशेष सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थे। सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है

(3) पी0एल0ए0 की पासबुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण इसके अवशेष का सत्यापन नहीं
सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

4) **राजकीय अनुदान:–** प्रमाणित किया जाता है कि अधिकरण को आलोच्य अवधि में प्राप्त राज
उपभोग, निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हीं उद्देश्यों हेतु किया गया है जिनके लिए वे स्वीक
दशा में उसका उल्लेख सम्परीक्षा टिप्पणी में यथा स्थान कर दिया गया है।
राजकीय अनुदानों के प्राप्ति, उपभोग एवं अवशेष की स्थिति संलग्न प्रपत्र– '66' में दी गयी है।

टिप्पणी:–

(1) अनुदान पंजी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।

(2) आई0डी0एस0एम0डी0 के अनुदान की राशि लम्बी अवधि से अवशेष चली आ रही थी। स
सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही। अवशेष राशि को यथाशीघ्र शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है।

(3) कुम्भ मेला 2010 की बचत राशि चैक संख्या 25902 दिनांक 13.07.10 रूपये 2,00,00,000=00, चै
दिनांक 13.07.10 रूपये 1,03,255=00 तथा चैक संख्या 506474 दिनांक 06.07.10 रूपये 315=00
2,01,03,570=00 वापस की गयी थी जिसे प्रपत्र–66 में व्यय में सम्मिलित किया गया है। अवशेष राशि
किया जाना अपेक्षित है।

5. सम्परीक्षा शुल्क:– वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की सकल आय क्रमशः रूपये 17,58,78,8
12,07,97,978=00 में से अग्रिम समायोजन एवं अनुदान हस्तांतरण की राशि घटाने के उपरान्त
17,23,35,471=00 एवं रूपये 11,10,93,978=00 पर क्रमशः रूपये 5,17,520=00 एवं रूपये 3,33,80
8,51,320=00 सम्परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान संख्या– 01 दिनांक 06.08.2011 रूपये 8,51,320=00 द्वार
करा दिया गया था।
उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2008–09 का सम्परीक्षा शुल्क रूपये 6,60,680=00 ट्रेजरी चालान संख्या–
2009 द्वारा जमा करा दिया गया था।
गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार विगत वर्षो का सम्परीक्षा शुल्क 45,66,202–2,59,410 = रू
जमा हेतु शेष था। जिसमें से रूपये 3,17,000=00 ट्रेजरी चालान संख्या–3 दिनांक 27.02.09 द्वारा जमा
था। अवशेष राशि 43,06,792–3,17,000= रूपये 39,89,792=00 यथाशीघ्र राजकोष में जमा करायी
अवशेष सम्परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नवत् है:–

अवधि	आरोपित सं0 शुल्क	जमा सं0 शुल्क	जमा हेतु शेष सं0 शुल्क
2003–04	4,20,230=00	2,96,480=00	1,23,750=00
2004–05	3,80,570=00	2,34,803=00	1,45,767=00
2006–07	42,95,480=00	6,83,205=00	36,12,275=00
2007–08	6,84,410=00	3,17,000=00 2,59,410=00	1,08,000=00
		योग:–	**रूपये 39,89,792=00**

6. राजकीय ऋण:– आलोच्य अवधि में प्राधिकरण को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नहीं था एवं न ही
ऋण प्रतिदान हेतु शेष था।

Scanned with CamScanner

393

. विनियोजनः— गत सम्परीक्षा आख्या में वर्णित विनियोजन रूपये 89,54,870=00 को दिनांक 10.08.09 को भुना कर ब्याज सहित रूपये 99,04,717=00 विजया बैंक की सावधि जमा रसीद संख्या 44,784=00 दिनांक 11.08.09 में विनियोजित किया गया जिसे परिपक्वता तिथि दिनांक 08.02.10 को भुनाकर परिपक्वता राशि रूपये 1,02,12,782=00 में से रूपये 2,12,782=00 को विजया बैंक बचत खाता सं0 451 में जमा कराते हुए रूपये 1,00,00,000=00 सावधि जमा रसीद संख्या 111169 दिनांक 08.02.10 में विनियोजित किया गया जिसे परिपक्वता तिथि 06.11.2010 को भुनाकर मूल धनराशि रूपये 1,00,00,000=00 पुनः सावधि जमा रसीद संख्या 7,90,823=00 दिनांक 06.11.2010 में विनियोजित किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त रूपये 15 करोड़ की धनराशि आलोच्य अवधि में विभिन्न समयावधियों के लिए विनियोजित की गयी थी। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है। आलोच्य अवधि के अन्त में रूपये 16 करोड़ निम्न विवरणानुसार विनियोजित थेः—

सावधि जमा रसीद सं0/दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर
73221/26.10.10	सेन्ट्रल बैंक, हरिद्वार	5 करोड़	26.10.11	8.35%
73222/26.10.10	——तदैव——	5 करोड़	26.10.11	8.35%
790823/06.11.10	विजया बैंक	1 करोड़	07.05.11	7.70%
84110/11.03.11	——तदैव——	5 करोड़	11.03.12	10.15%
	योगः—	रूपये 16 करोड़		

. अन्य विविध अनियमिततायें/सूचनायें:—

(1) टेण्डर फार्म विक्रय की रसीदों में धनराशि काट कर कम धनराशि अंकित किया जानाः— धन प्राप्ति रसीदों की जाँच में पाया गया, टेण्डर फार्म विक्रय सम्बन्धी निम्न लिखित रसीदों की द्वितीय प्रति (कार्बन प्रति) में मूल रूप से लिखी गई धनराशि रूपये 1,250=00 को काट कर पैन से रूपये 1,125=00 अंकित किया गया था। धन प्राप्ति रसीदों में इस प्रकार कटिंग कर धनराशि कम अंकित किये जाने से अन्तर की धनराशि के व्यपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

रसीद संख्या	दिनांक	नाम
549/83	17.08.09	श्री इकबाल अहमद
549/84	17.08.09	श्री अरविन्द कुमार चौहान
549/86	17.08.09	श्री एल0 के0 एसोसिएट्स
549/87	17.08.09	श्री एस0 के0 मिश्रा
549/88	17.08.09	मै0 लिंक इन्टरप्राइजेज

(2) विवाहोपरान्त जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना आरक्षित श्रेणी में भूखण्ड आबन्टित किया जाना अनियमितः— इन्द्रलोक आवासीय योजनान्तर्गत 300 वर्गमीटर का भूखण्ड संख्या 33 श्रीमती किरण गौतम, पत्नी श्री अरूण कुमार, निवासी— 117/क्यू0/619—सी शारदानगर कानपुर के नाम अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आरक्षित श्रेणी में आबन्टित था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि आवेदन फार्म संख्या— 12072 के साथ तहसीलदार— कानपुर नगर द्वारा दिनांक 31.07.84 को कु0 किरण कुमारी के नाम निर्गत जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी थी जबकि आवेदन वर्ष 2006 में श्रीमती किरण गौतम के रूप में अर्थात् विवाहोपरान्त किया गया था। विवाहोपरान्त जाति की स्थिति के सम्बन्ध में जाति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था। महिला आवेदक से विवाहोपरान्त जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिन आरक्षित श्रेणी में भूखण्ड आबन्टित किया जाना अनियमित था।

(3) अनुरक्षण शुल्क पंजिका में प्रविष्टियां प्रमाणित न होनाः— प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित हरिलोक आवासीय योजन की अनुरक्षण शुल्क मांग समाहरण पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि अनुरक्षण शुल्क प्राप्ति सम्बन्धी प्रविष्टियाँ तथ भूमि/भवन स्वामियों का विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थे। सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराया जान अपेक्षित है।

Scanned with CamScanner

(4) देयक अप्रस्तुतः– निम्नलिखित देयक एवं सम्बन्धित पत्रावलियां सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। इन्हें सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है–

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	विवरण
06.07.09	712223	91,500=00	मै0 जय दुर्गे एजेन्सी (ए0सी0क्रय)
28.08.09	712425	3,00,000=00	मै0 स्टील फैब (डामकोठी से सि... निर्माण)
25.01.11	887577	37,491=06	श्री ब्रज मोहन बडोनी (ऋषिकेश ... पुताई)
28.07.09		37,298=00	मै0 जागरण प्रकाशन (विज्ञापन)
07.08.09		24,667=00	मै0 अमर उजाला (विज्ञापन)
23.02.11	887942	19,250=00	मै0 इन्सपिरेशन (प्रिन्टर मरम्मत)

सम्परीक्षा आख्या भाग–तीन में कोई पद शेष नहीं हैं सम्परीक्षा आख्या में उल्लिखित अभ्युक्ति... रखते हुए संस्था में आन्तरिक नियन्त्रण को अधिक प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। सम्परीक्षा में संस्था... कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा।

स्थानः– देहरादून
दिनांकः– 12.10.2011
श्री महीप कुमार सिंह
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(के0एन0दुमका)
उपनिदेशक
स्थानीय निधि लेखा परी...
देहरादून।

Scanned with CamScanner

वर्ष 2009-10 व 2010-11 में

~~नगरपालिका परिषद / जिला पंचायत / नगर पंचायत / इण्टर कालेज~~ हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के आय और व्यय की तालिका

क्र० सं०	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल ——— को प्रारम्भिक अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	——— वर्ष की आय: अनावर्तक राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4(ग)	वर्ष में हुआ व्यय	——— मार्च 2002 का अंतिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
(1)	2009-10	29,86,46,535	12,09,84,104	5,48,94,739	—	—	17,58,70,843	47,45,25,378	11,23,62,470	36,21,62,908	
(2)	2010-11	36,21,62,908	11,06,11,236	2186742	—	—	12,07,97,970	48,29,60,886	15,89,66,417	32,39,94,469	
	योग . . .										

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 स्था० नि० ले० / 362–28–09–2006–5,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

(Signature)

Scanned with CamScanner

स्था0 नि0 ले0 प्रपत्र संख्या=105

वर्ष 2009-10 से 2010-11 में

~~नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत~~ हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
1	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :— 2009-10				
	(क) शिक्षा				
	(ख) चिकित्सा				
	(ग) जन=स्वास्थ्य कुम्भ मेला 2010 के अन्तर्गत				
	(घ) सड़क				
	(ङ) अन्य निर्दिष्ट प्रयोजन विभिन्न विकास कार्य				
	(च) सामान्य प्रयोजन				
	(छ) नगरपालिका/जिला परिषद्/अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये गये अर्थ=दण्ड के बदले 2009-10	5,48,94,739	—	5,48,94,739	
	(ज) नगरपालिका/जिला परिषद्/अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशासित नौका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन 2010-11	21,86,742	—	21,86,742	
	(ञ) जिला परिषदों के सम्बन्ध में स्थानीय उप=शुल्कों के समतुल्य				
	(ट)				
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग	5,70,81,481	—	5,70,81,481	

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ग्राम्य विकास अनुभाग उ०प्र०-1									
1	57/9-आ०-95-संगठित विकास 53-आई०डी०एस०एम०टी०/योजना (केन्द्रांश) 96 दि० 31-3-96		53,00,000	31-3-96						
2.	57(i)/9-आ०-95-एकीकृत विकास, 53-आई०डी०एस०एम०टी०/योजना (राज्यांश) 96 दि० 31-3-96		35,53,000	31-3-96	48,57,722	—	48,57,722	—	48,57,722	
3.	27/9-आ०-1-97-संगठित विकास-6-आई०डी०एस०एम०टी०/योजना (केन्द्रांश) 97 दि० 29-3-97		17,00,000	9-2-98						
4	27(i)/9-आ०-1-97-एकीकृत विकास-6 आई०डी०एस०एम०टी०/योजना (राज्यांश) 97 दि० 29-3-97		11,33,000	9-2-98						

राजाज्ञा संख्या........................ दिनांक.................... के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून तथा सचिव, उत्तरांचल, शासन,..विभाग को प्रेषित।

सं...............................

दिनांक........................

निदेशक

स्थानीय निधि लेखा,

(19)

Scanned with CamScanner

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	शासनादेश अनुपलब्ध	सौन्दर्यीकरण हेतु	1,10,000	—	1,02,067	—	1,02,067	—	1,02,067	
6	— तदैव —	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	अज्ञात	—	55,935	—	55,935	-	55,935	
	अर्द्ध कुम्भ मेला अनुदान 2004									
7.	विभिन्न शासनादेशों द्वारा स्वीकृत अनुदानों के मेलाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुदान	अर्द्धकुम्भ मेला के सम्बन्धित विविध निर्माण कार्य	4,66,81,000	29-11-03 से 31-3-05	32,03,800	—	32,03,800	25,940	31,77,860	

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुम्भ मेला 2010 अनुदान									
	(अ) शहरी विकास अनुभाग उत्तराखण्ड									
8	527/IV(1)/2009-97(कुम्भ)/2009 दि० 15-6-09	कुम्भ मेला से सम्बन्धित विविध कार्य	1.34 लाख	29-6-09	—	1,34,000	1,34,000	1,34,000 ~~38665~~	~~[illegible]~~	
9.	321/IV(1)/2009-70(कुम्भ)/2009 दि० 10-6-09	-तदैव-	102.69 लाख	7-7-09 12-7-10	—	70,49,000	70,49,000	70,49,000	—	34.06 लाख शासनादेश खण्ड-3 को हस्तांतरित 36.45 लाख शासनादेश खण्ड-3 को ही हस्तांतरित
10	1290/IV(1)/2009 दि० 25-9-09	-तदैव-	13.97 लाख	9-10-09 15-10-09	—	13,97,000	13,97,000	13,97,000	—	
11	1289/IV(1)/2009-88(कुम्भ)/2009 दि० 25-9-09	-तदैव-	202.41 लाख	9-10-09 15-10-09	—	2,02,41,000	2,02,41,000	2,02,41,000	—	

राजाज्ञा संख्या........................ दिनांक.................... के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तरांचल/उत्तराखण्ड, देहरादून तथा सचिव, उत्तरांचल/उत्तराखण्ड शासन,..विभाग को प्रेषित।

सं..............................

दिनांक.......................

निदेशक

स्थानीय निधि लेखा,

196

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1282/IV(1)/2009-158(कुम्भ)/2009 दि0 18-12-2009	कुम्भ मेला से सम्बन्धित विविध कार्य	96.54 लाख	2-2-10 31-3-10	—	9654000	9654000	9654000	—	शा0 383/IV(1)/2009 दि0 12-3-10 द्वारा लो0नि0वि0 हस्तांतरित
13	6/IV(1)/2009-273(कुम्भ)/2009 दि0 1-1-10	—तदैव—	169.42 लाख	5-3-10 31-3-10	—	16942000	16942000	16098657	843343	
(ब) मेलाधिकारी निवर्तन										
	पत्रांक 4918/कुम्भ-2010/लेखा (निवर्तन) दि0 29-1-10	—तदैव—	460739	5-3-10	—	460739	460739	443402	17337	
	पत्रांक 4196/I(20) (कुम्भमेला 2010) लेखा/2010	—तदैव—	80,000	31-3-10	—	80,000	80,000	68904	11096	

आज्ञा संख्या.................... दिनांक.................... के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून तथा सचिव, उत्तरांचल

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	8063/कुम्भ-2010/लेखा (निर्माण) दि० 17-6-10	कुम्भ मेला के सम्बन्धित विविध कार्य	2,61,332	18-6-10	—	2,61,332	2,61,332	2,61,332	—	
17	7923/(कुम्भ मेला) लेखा/2010 दि० 5-6-10	-तदैव-	8,62,410	18-6-10	—	8,62,410	8,62,410	8,62,410	—	

राजाज्ञा संख्या.......................... दिनांक..................... के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून तथा सचिव, उत्तरांचल शासन,...विभाग को प्रेषित।

सं.................................

दिनांक........................

निदेशक
स्थानीय निधि लेखा.

Scanned with CamScanner

अर्द्ध कुम्भ मेला २००४ की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु कार्यालय मेलाधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त धनराशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में उपयोग एवं अवशेष का विवरण-

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवमुक्त राशि रू० (लाख में)	01 अप्रैल 2009 को प्रा०अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	31 मार्च 2011 को अवशेष	अन्य विवरण
1	केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुंच मार्ग	11.20	164556.00	0.00	164556.00	0.00	164556.00	
2	ललतारा सेतु तक पहुंच मार्ग	10.28	75460.00	0.00	75460.00	25940.00	49520.00	
3	मेला क्षेत्र में विभिन्न सीनों पर हाईमास्ट लाईट की व्यवस्था	90.34	1159429.00	0.00	1159429.00	0.00	1159429.00	
4	पथ प्रकाश व्यवस्था	95.50	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5	मात्र सदन आश्रम के निकट सड़क का निर्माण कार्य	5.43	268518.00	0.00	268518.00	0.00	268518.00	
6	तरूण हिमालय टिब्बड़ी के समीप नाले का पुनर्निर्माण	21.77	1044880.00	0.00	1044880.00	0.00	1044880.00	
7	एक सड़क अनुरक्षण	6.44	337986.00	0.00	337986.00	0.00	337986.00	
8	हरिपुरकलां में गली नं0-5 सोडियम लाईट लगाने का कार्य	1.10	23566.00	0.00	23566.00	0.00	23566.00	
9	रैडी बल्लन में मुख्य सड़क के दोनों फुटपाथ ... टैलिंग का कार्य	0.20	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
			[illegible]		[illegible]	0.00	29398.00	

8	हरिसुरकल ने गली	1.10	23566.00	0.00	23566.00	0.00	23566.00	
	न0-5 सोडियन लाईट							
	लगाने क कार्य							
9	रेडी बल्दल ने मुख्य	0.20	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
	सड़क के दोनो फुटपाथ							
	व रेलिंग पर पेन्टिंग का कार्य							
10	रुटन्डा से आगे 255	3.28	29398.00	0.00	29398.00	0.00	29398.00	
	मी0 लम्बाई में मुख्य							
	गंग नहर के किनारे							
	सौन्दर्यीकरण का कार्य							
11	धर्मोघाट पर श्मशान	2.32	99097.00	0.00	99097.00	0.00	99097.00	
	घाट पर टीन शेड का							
	निर्माण कार्य							
12	सिंहद्वार से रुटन्डा	0.10	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
	पुल तक नहर के							
	किनारे झाड़ी सफाई का कार्य							
	योग	247.96	3203800.00	0.00	3203800.00	25940.00	3177860.00	

संख्या-249/V/11-111(आ०)/10

38

प्रेषक,

गरिमा रौकली,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार ।

आवास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 09 फरवरी, 2010

विषय-हरिद्वार विकास प्राधिकरण की वर्ष 2008-09 की सम्परीक्षा आख्या के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादून के पत्र संख्या-सा०/50(।।), दिनांक 27.11.2010 की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2008-09 में किये गये कार्यो के सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग की आपत्तियों का निराकरण तत्काल करते हुए उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीया,

(गरिमा सैकली)

उप सचिव ।

Secy/OS

11/02/2011

VC

OS.

11.2.11

Secretary

सचिव

ह० वि० प्रा०

Scanned with CamScanner